लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA
DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1—10)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6, गुरुवार 23 मार्च 1967/ चैत्र 2, 1880 (शक)

No. 6. **Thursday March** 23, 1967/**Chaitra** 2, 1889 (**Saka**)

Oral Answers to Questions 209-226

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ता. प्र. संख्या

S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	**पृष्ठ**/PAGES
40. जीवन बीमा निगम में संगणक (कम्प्यूटर)	Computers in L. I. C.	209-211
41. चौथी पंचवर्षीय योजना	Fourth Five Year Plan	211-214
43. देशी चिकित्सा प्रणाली	Indigenous Systems of Medicine	214-216
44. अवमूल्यन तथा विदेशी मुद्रा संसाधन	Devaluation and Foreign Exchange Resources	216-220
45. गंडक बांध योजना	Gandak Barrage Scheme	220-222
46. उत्तर प्रदेश के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Uttar Pradesh	223
47. बम्बई जल सम्भरण योजना के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Bombay Water Supply Scheme	223-224
48. चौथी पंचवर्षीय योजना में विद्युत् उत्पादन	Power production for Fourth Five Year Plan	225-226

प्रश्नों के लिखित उत्तर **Written Answers to Questions** 228-232

तारांकित प्रश्न संख्या

Starred Question Nos.

49. राजस्थान के श्री छगनलाल गोदावत के पास से सोना पकड़ा जाना	Seizure of Gold from Shri Chagganlal Godavat of Rajasthan	228
50. पेंशन की राशि में वृद्धि	Increase in Pension	229
51. परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	229-230
52. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ली गई तलाशियां	Searches made by Enforcement Directorate	230
53. मंहगाई भत्ता आयोग का प्रतिवेदन	D. A. Commission Report	231
54. बेल शिष्टमंडल (मिशन) का प्रतिवेदन	Bell Mission Report	231
55. राजस्थान नहर पर लिफ्ट चैनल का निर्माण	Construction of Lift Channel on Rajasthan Canal	231-232

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अतारांकित प्रश्न संख्या
Unstarred Question Nos.

23. रुपये का अवमूल्यन तथा योजना — Devaluation and Planning 232
24. सरकारी होटल तथा होस्टल — Government Hotels and Hostels 232-233
25. नागार्जुन सागर बांध पर दुर्घटना — Accident at Nagarjunasagar Dam 233.234
26. मेसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई — M/S Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. Bombay 234
27. दिल्ली में अवैध रूप से विदेशी मुद्रा का बेचा जाना — Illegal sale of Foreign Exchange Delhi 234-235
28. कलकत्ता में सीमा शुल्क संबंधी छापे — Customs Raids in Calcutta 235
29. ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया अवैध सोना — Contraband Gold Seized at Gwalior Rly Station 235-236
30. चौथी योजना में स्थापित किये जाने वाले चिकित्सा कालेज — Medical Colleges to be opened during Fourth plan 236
31. फर्मों आदि का आयकर बट्टे खाते में डाला जाना — Income Tax of Firms etc. Written off 236
32. महाराष्ट्र में कोंकण के तूफान पीड़ित लोगों का पुनर्वास — Rehabilitation of Cyclone-affected People of Konkan in Maharashtra 237
33. चौथी पंचवर्षीय योजना — Fourth Five Year Plan 237
34. परिवार नियोजन कार्यक्रम — Family Planning Programme 237-238

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance 238-242

मिजो विद्रोहियों का जेल से भाग जाना — Escape of Mizo Rebels from prison
श्री स० मो० बनर्जी — Shri S. M. Banerjee
श्री यशवन्तराव चव्हाण — Shri Y. B. Chavan

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में — Re. Point of Privilege 242

सभा पटल पर रखे गये पत्र — Papers Laid on the Table 242-248

स्थानों का नियत किया जाना — Allocation of Seats 248

अध्यक्ष तथा विशेषाधिकार समिति के सदस्यों के विरुद्ध लेखा याचिका के बारे में — Re. Writ petition against Speaker and Members of Committee of Privileges 248-251

लोक-सभा में मध्यान्ह भोजन के लिये अवकाश — Lunch Break in Lok Sabha 251

समिति के लिये निर्वाचन — Election to Committee 251-252

चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान सम्बन्धी स्नातकोत्तर संस्था चण्डीगढ़ — Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh 252

सामान्य आय-व्ययक-सामान्य चर्चा — General Budget-General Discussion 252-257
श्री प्र० के० देव — Shri P. K. Deo
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा — Shrimati Tarkeshwari Sinha
श्री कंवर लाल गुप्त — Shri Kanwar Lal Gupta
श्री के० आर० गणेश — Shri K. R. Ganesh

श्री समरेन्द्र कुन्डू	Shri S. Kundu	
श्री चिन्तामणि पाणिग्राही	Shri Chintamani Panigrahi	
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन	Shri Tenneti Vishwanathan	
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	
विधेयक पुर:स्थापित	Bills Introduced	257
1. ढोर वध निषेध विधेयक (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का)	Cattle Slaughter Prohibition Bill (by Shri Prakash Vir Shastri)	257-258
2. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन) (श्री सेझियान का)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 15 and 16) by Shri Era Sezhiyan	258
3. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 120 का संशोधन) (श्री सेझियान का)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 120) by Shri Era Sezhiyan	258
4. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 125 क और 221 क का रखा जाना) (श्री मधु लिमये का)	Constitution (Amendment) Bill (Insertion of articles 125 A and 221 A) by Shri Madhu Limaye	268
5. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 37,45 आदि का संशोधन) (श्री मधु लिमये का)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 37,45 etc.) by Shri Madhu Limaye	268
6. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 107 और 109 का हटाया जाना) (श्री मधु लिमये का)	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill (Omission of sections 107 and 109 by Shri Madhu Limaye	268-269
7. दण्ड विधि (संशोधन) (निरसन) विधेयक (श्री मधु लिमये का)	Criminal Law Amendment (Repeal) Bill by Shri Madhn Limaye	269
8. भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक (धारा 11, 23 आदि का संशोधन) (श्री स० चं० सामन्त का)	Land Acquisition (Amendment) Bill (Amendment of sections 11,23 etc.) by Shri S. C. Samanta	269
9. राष्ट्रीय राइफल प्रशिक्षण योजना विधेयक (श्री स० चं० सामन्त का)	National Rifle Training Scheme Bill by Shri S. C. Samanta	270
10. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक (तीसरी अनुसूची का संशोधन) (श्री कंवरलाल गुप्त का)	Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill (Amendment of the Third Schedule) by Shri Kanwar Lal Gupta	270
11. भारतीय सशस्त्र सेना कर्मचारी (अनिवार्य बीमा) विधेयक (श्री स० चं० सामन्त का)	Indian Armed Forces Personnel (Compulsory Insurance) Bill by Shri S. C. Samanta	270-271

12. जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी रोक विधेयक (श्री स० चं० सामन्त का)	Hoarding and Profiteering Prevention Bill by Shri S. C. Samanta 271
टाइम्स आफ इंडिया में तालाबन्द के बारे में वक्तव्य	Statement re. Lockout in Times of India
श्री हाथी	Shri Hathi
सी० आई० ए० की गतिविधियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion Re. Activities of C. I. A. 271-277
श्री उमानाथ	Shri Umanath
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla

लोक सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 23, मार्च 1967 / 2 चैत्र, 1889 (शक)
Thursday, March 23, 1967 / Chaitra, 2, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जीवन बीमा निगम में संगणक (कम्प्यूटर)

\+
* 40 **श्री जार्ज फ़रनेन्डीज:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में कितने संगणक लगाये गये हैं तथा इन संगणकों का मूल्य कितना है ;

(ख) इन संगणकों के निर्माता कौन हैं और इन संगणकों को खरीदने, किराये पर लेने अथवा लगाने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है;

(ग) क्या ये संगणक लगाये जाने के परिणामस्वरूप प्रशासनिक बचत के रूप में हुई मितव्ययता के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक कार्यालय में अथवा प्रत्येक डिवीज़न में कितने-कितने कर्मचारी बेरोज़गार हो गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) एक संगणक (कम्प्यूटर) बम्बई में लगा दिया गया है। दूसरे संगणक का ठेका दे दिया गया है और आशा है कि वह कलकत्ता में इस वर्ष लगा दिया जायगा। बम्बई में लगाए गए संगणक की खरीद का मूल्य लगभग ४२ लाख रुपये है (जिसमें आयात करने का खर्च और बिक्री कर शामिल नहीं है) कलकत्ता में जिस संगणक के लगाए जाने की आशा है, उसकी खरीद का मूल्य लगभग ४० लाख रुपये है (जिसमें आयात करने का खर्च और बिक्री कर शामिल नहीं है)।

(ख) बम्बई में लगाए गए संगणक के बनाने वाले अमरीका के मेसर्स इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन कारपोरेशन हैं। कलकत्ता में लगाए जाने वाले संगणक के बनाने वाले संयुक्त राज्य के मेसर्स इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स टैबुलेटर्स लिमिटेड हैं। बम्बई के संगणक की कीमत की अदायगी "स्तम्भित (ब्लाक्ड) रुपया" व्यवस्था के अन्तर्गत की गयी है। इसी प्रकार, दूसरे संगणक के लिए किसी व्यवस्था की मंजूरी देते समय विदेशी मुद्रा विनिमय सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया जायगा।

(ग) बम्बई में लगे संगणक को अभी तक केवल परीक्षण के तौर पर काम में लाया गया है, इसलिये इस प्रकार का कोई अध्ययन इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता।

(घ) कोई नहीं।

Shri George Fernandes : Whether it is a fact that both these computors have not been put to work and whether it is also a fact that due to some technical defects in them, it is not possible to put them into use ?

Shri K. C. Pant : As I have told just now that the computor in Calcutta has not been installed yet. One computor has been installed at Bombay. It has been on trial for a few months.

Shri George Fernandes : When the question of installing a computor arises in foreign countries or even in America, it is done after consulting the workers and their unions and taking into consideration of its repercussions on the workers working in that field. Whether the Government consulted the workers concerned and their unions before spending foreign exchange worth lakhs of rupees on Fourth-Five Year Plan and installing a computor.

Shri K. C. Pant : It has been said that the foreign currency amounting to lakhs of rupees has been spent. As I have told in my reply that no foreign exchange has been spent in this respect. The payment was made in rupee. So far as the retrenchment is concerned, we should not follow other countries. It has been assured earlier also that no retrenchment had been made because of installation of computor in Bombay.

श्री स० मो० बनर्जी : इससे पहले भी इस प्रश्न पर सभा में चर्चा हुई थी। देश के 40,000 जीवन बीमा कर्मचारियों में इन कम्प्यूटरों के लगाये जाने से, हुई छटनी से, असन्तोष बढ़ रहा है। भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने इस विषय पर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि से बातचीत करने का आश्वासन दिया था। चूंकि वह अब वित्त मन्त्री नहीं रहे तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या नये वित्त मन्त्री इस विषय पर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ या दूसरे सम्बन्धित संघों से नये सिरे से बात करेंगे ताकि कम्प्यूटर को चालू करने से पहले पारस्परिक समझौता हो जाये।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : मैं इस विषय पर विचार कर चुका हूँ और मुझे इस पर विचार करने का कोई कारण नजर नहीं आता। इस प्रश्न पर मुझे अब विचार नहीं करना है। जीवन बीमा निगम को ही अब इस पर विचार करना है। जीवन बीमा निगम स्वायत्तशासी निकाय है और वित्त मन्त्री उसके दिन प्रति दिन के कार्य में बाधा नहीं डाल सकते। अतः इस विषय में संघ या उसके कर्मचारियों में कोई चर्चा होनी हुई तो वह जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष से ही की जानी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न को गलत समझा गया है।

अध्यक्ष महोदय : उसका जवाब दे दिया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : स्पष्टीकरण के प्रश्न पर वित मन्त्री ने कहा था कि वह स्वयं बम्बई जायेगें और इस कम्प्यूटर के कार्य को देखेंगे। मैं यह जानता हूँ कि जीवन बीमा निगम स्वायत्तशासी निकाय है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस विषय पर जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष से चर्चा हुई थी और कोई समझौता नहीं हो सका।

श्री मोरार जी देसाई : इस कारण कोई छटनी होने वाली नहीं है।

श्री बलराज मधोक : माननीय मन्त्री ने कहा है कि अभी कम्प्यूटर के लगाये जाने से कोई छटनी नहीं होगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कम्प्यूटर के चालू किये जाने से जीवन बीमा निगम की कार्यक्षमता में प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, यदि हाँ, तो क्या इसे विवेकपूर्ण नीति कहा जायेगा ?

श्री मोरार जी देसाई : यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह त्रुटिपूर्ण नीति होगी।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्री मधोक जनता में फैली एक बहुत बड़ी शंका का समाधान करना चाहते थे कि जबकि सरकार कहती है कि फिलहाल शायद छटनी की कोई आशा नहीं है। जाहिर है कि छटनी और नौकरी का मामला लटका रहा और सरकार कहती है कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। वे हमें बतायें कि वास्तविक स्थिति क्या है और क्या कम्प्यूटर की स्थापना से नियोजन क्षमता में कमी न आ जायेगी।

श्री मोरार जी देसाई : वास्तव में नियोजन क्षमता तो जीवन बीमा निगम की कार्य कुशलता से और बढ़ जायेगी क्योंकि इससे इसके कार्य में बढ़ोतरी तथा विकास होगा और उसके परिणाम स्वरूप और बहुत से लोगों को नौकरी मिलेगी। यदि यह नहीं किया गया तो कम लोगों को नौकरी मिलेगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना

\+

*41 **श्री सेझियान** :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री सूपकर :
श्री हेमराज :
श्री सी० सी० देसाई :
डा० करणी सिंहजी :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री० भोगेन्द्र झा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना का परिव्यय अन्तिम रूप से तय हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार योजना को कब तक अंतिम रूप देने तथा उसे सभा पटल पर रखने का है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : नवीनतम आर्थिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना-प्रारूप की रूपरेखा का पुनरीक्षण के बाद, चौथी योजना के प्रस्तावों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा और तत्पश्चात् उसे संसद में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

श्री सेझियान : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का एक वर्ष समाप्त हो चुका है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसको अन्तिम रूप देने के लिये और कितना समय लगेगा। भारत इस समय योजना रहित है और मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या योजना आयोग कम से कम पंचवर्षीय योजना की समाप्ती से पूर्व चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने में समर्थ हो जायेगा। मैं इसके पूरा होने की निश्चित तारीख जानना चाहता हूँ।

श्री अशोक मेहता : जहां तक चौथी योजना का सम्बन्ध है, हम 17 राज्यों में से 16 राज्यों में निर्वाचन से पूर्व ही समझौते तथा अन्तिम निर्णय पर पहुँच चुके थे। परन्तु मेरे विचार में नई बनी सरकारों से भी फिर से इस विषय में चर्चा करना आवश्यक है। जहां तक राज्य के क्षेत्र का सम्बन्ध है उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिये। हम उनसे कोई भी चीज ठोस तथा अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं करना चाहते। जहां तक केन्द्रीय सरकार की योजना का सम्बन्ध है वह भी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी सुदृढ़ नहीं हुई जैसी की हमें आशा थी।

हम उस पर विचार कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी मुख्य मन्त्रियों से इस विषय पर चर्चा होने के पश्चात्, राष्ट्रीय विकास परिषद् उन सब आंकड़ो पर विचार करेगी।

श्री सेझियान : बहुत से सदस्यों द्वारा, जिसमें योजना आयोग के हाल के सदस्य भी हैं, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि योजना आयोग का पुनर्गठन तथा पुनर्निधारण होना चाहिये, जो कि स्वयं योजना के कार्य का प्रतिबिम्ब है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि योजना तथा योजना आयोग के पुनर्निधारण तथा पुनर्गठन के विषय में योजना मंत्री को क्या कहना है।

श्री अशोक मेहता : इसका सम्बन्ध मुख्य प्रश्न से नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्योंकि हमारी योजना का परिव्यय निर्यात के काम पर निर्भर रहता है, जो अवमूल्यन के कारण बहुत उदासीन हो गई है। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था में अवमूल्यन के प्रवेश के बाद सरकार का इरादा उसको पुनरीक्षण करने का है।

श्री अशोक मेहता : निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये कार्य किये जा रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अवमूल्यन के कारण हमारे निर्यात में कमी हुई है। सच तो यह है कि यदि अवमूल्यन नहीं होता तो हमें निर्यात में अधिक नुकसान उठाना पड़ता।

श्री च० चु० देसाई : मुझे अपना प्रश्न प्रधान मन्त्री से पूछना था। परन्तु क्योंकि अब वह सभा में नहीं हैं, तो क्या मैं अपना प्रश्न उप-प्रधान मन्त्री से पूछ सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का उत्तर योजना मन्त्री द्वारा अभी दे दिया जायेगा।

श्री च० चु० देसाई : योजना आयोग का पुनर्गठन करने पर सरकार का क्या विचार है। और क्या सरकार इस सभा को यह आश्वासन दे सकती है कि पराजित तथा अवांछित कांग्रेसियों

को मान्यता प्राप्त या पुनर्गठित योजना आयोग में स्थान नहीं दिया जायेगा। इसका उत्तर केवल प्रधान मन्त्री अथवा वित्त मन्त्री द्वारा दिया जाना चाहिये।

श्री अशोक मेहता : इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। श्री देसाई जैसे विशिष्ठ सदस्यों को यह ज्ञात होना चाहिये कि मुख्य प्रश्न से कौन सा प्रश्न सम्बन्धित है और कौन सा नहीं।

Shri Madhu Limaye : It has been the convention of the House that Supplemenatry questions may be asked. This question was also asked by Shri Eva Sezhiyan. The question is related with the fourth Five Year Plan and hence it should be replied.

अध्यक्ष महोदय : योजना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का प्रश्न इस प्रश्न के अन्तर्गत चर्चा का विषय नहीं हो सकता।

Shri Madhu Limaye : What does then Supplementary mean ? Planning Commission has not adopted any solid policy in this respect and that is why it is being delayed.

श्री सेझियान : योजना, योजना आयोग पर निर्भर करती है अतः मैंने योजना आयोग के पुनर्निधारण तथा पुनर्गठन के विषय में प्रश्न किया था।

श्री कंवरलाल गुप्त : प्रश्न का उत्तर दिया या न दिया जाना आप पर निर्भर करता है। तो वह यह कैसे कहते हैं कि वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। आप उन्हें उत्तर देने के लिये मजबूर कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से प्रश्नों का क्षेत्र इतना विस्तृत होता है कि उनका अभी जबाव देना कठिन होता है। योजना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केवल योजना मन्त्री द्वारा ही नहीं की जाती।

Shri Kanwar Lal Gupta : When you admit supplementaries on a particular question, it is not proper to say by the minister that it does not arise from the original question. If the minister has no reply to that he can say that he cannot reply.

अध्यक्ष महोदय : कहने का अभिप्राय यही है।

Shri Madhu Limaye : The rules regarding admission of questions are very clear. These are the three reasons for not admitting a question. 1. The reply may not be in the public interest 2. They may not have any information in that regard 3. You may not have permitted. Which are the reasons out of these there ? When you have permitted, the question must be replied.

श्री अशोक मेहता : मैं आप से प्रार्थना करूँगा कि आप देखें और बतायें कि क्या यह प्रश्न योजना आयोग के पुनर्गठन से सम्बन्धित है।

श्री कंवरलाल गुप्त : इन्होंने वही उत्तर फिर दोहराया है। मैं इसका विरोध करता हूँ। जब आपने इनसे उत्तर देने के लिये कहा तो और इनके पास उत्तर नहीं हो तो यह कह सकते हैं कि 'मेरे पास इसका उत्तर नहीं है'।

श्री करणी सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या तथा देश की और समस्याओं के लिये जो कार्य किये गये हैं उनकी असफलता को ध्यान में रखते हुए, सरकार कागजी कार्यवाही न कर कर, भविष्य की नीति में योजना को क्रियान्वित करने पर अधिक जोर देगी ?

श्री अशोक मेहता : जहाँ तक योजना का सम्बन्ध है न केवल भारत में ही वरन् संसार में भी योजना निकाय का कार्य योजना बनाना है। उनको क्रियान्वित करना प्रशासनिक मन्त्रालयों का काम है। योजना का पुनर्विलोकन उसके प्रतिवर्ष के कार्य को देखते हुए किया जाता है। आप जानते हैं कि इंगलैंड, चीन तथा रूस में भी बनी हुई योजनाओं का पुर्नविलोकन किया गया था। यह बात केवल भारत के लिये ही विचित्र नहीं है। और कोई भी योजना आयोग योजना को क्रियान्वित करने के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह ध्यान में रखते हुए कि खाद्यान की कमी किसी राज्य में कल्याण का प्रश्न न होते हुए जनता के अस्तित्व तथा जीवन मरण का प्रश्न हो गया है, क्या सरकार सिंचाई योजनाओं और किसानों को कम कीमत पर तथा काफी मात्रा में पानी देने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी, ताकि खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके और समाज कल्याण की योजना को अगली योजना तक के लिये स्थगित कर देगी ?

श्री अशोक मेहता : जैसा माननीय सदस्य को विदित ही है कि हमने कृषि तथा सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है विशेषकर जो योजनायें निर्माणाधीन है जैसे शक्ति से कुऐं खोदना इत्यादि।

श्री चिन्तामणि प्राणिग्रही : मै यह जान सकता हूं कि क्या अभी तक अपनाये गये लक्ष्यों तथा नीतियों का पुनरीक्षण किया जायेगा ?

श्री अशोक मेहता : राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुदेश पर जो भी हमें करने के लिये कहा जायेगा वह हम करेंगे। किसी विशेष चीज पर प्रतिबन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 43.

श्री नाथपाई : आप योजना के प्रश्न को अधिक महत्वता नहीं देना चाहते। हम इस विषय में और अधिक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय पर बाद में भी चर्चा कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या 42 का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : यह किसी और दिन के लिये स्थगित कर दिया गया है।

देशी चिकित्सा प्रणाली

\+

* 43 **श्री स० चं० सामन्त** : **क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशी चिकित्सा प्रणाली, जिसके स्थान पर देहाती क्षेत्रों में भी एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, की अवहेलना किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) देशीय चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने यदि कोई योजनाएं बनाई हैं, तो उनका मोटा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजना के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली की तुलना में कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) :

(क) आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों अर्थात् आयुर्वेद जिसमें सिद्ध भी सम्मिलित हैं, यूनानी और योग का उत्तरोत्तर विकास किया जा रहा है।

(ख) भारत सरकार मुख्यतः इन पद्धतियों के बारे में अनुसन्धान तथा इनकी स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास से सम्बन्धित है। स्नातकोत्तर एवं अनुसन्धान संस्थान्, औषध मानक प्रयोगशालायें, वनौषधि उद्यान और सर्वेक्षण एकक खोलने एवं आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी मेषज संहिताओं के संकलन के प्रस्ताव सभी पूर्वापर योजनाओं में सम्मिलित किये गये हैं।

(ग) स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिये केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में पांच-पांच करोड़ रुपये का नियतन अस्थायी रूप से चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। एलोपैथिक पद्धति के लिये इस योजना में ४८२ करोड़ रुपये का नियतन किया गया है।

श्री स० च० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि देशी चिकित्सा प्रणाली तथा होमयोपैथिक चिकित्सा के लिये स्थापित समितियों ने देश में चिकित्सा संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की है। क्या इसकी सिफारिशों पर विचार किया गया है और क्या उनको क्रियान्वित किया जायेगा ?

डा० एस० चन्द्रशेखर : यदि 'चिकित्सा संस्थान' से माननीय सदस्य का अभिप्राय चिकित्सा कालिज का आयुर्वेदिक विधि से चलाने का है, तो वह विचाराधीन है और सरकार द्वारा शीघ्र ही क्रियान्वित किया जायेगा।

श्री स० च० सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि आयुर्वेदिक डाक्टरों द्वारा दिये गये सर्टिफिकेटों को वही सम्मान तथा प्रतिष्ठता प्राप्त है, जो कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डाक्टरो को हैं।

डा० एस० चन्द्रशेखर : मैं यह माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को मान्यता देने के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद की तरह की एक संस्थान सरकार के विचाराधीन है, और यथा साध्य इस विषय को विधान सभा के समक्ष लाया जायेगा।

श्री बाबूराव पटेल : क्या मैं यह जान सकता हूं कि होमयोपैथी के विकास के लिय सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि नियत की है। और गरीब जनता के लिये इस देश में इलाज की सबसे सस्ती पद्धति क्या है ?

डा० एस० चन्द्रशेखर : देशी चिकित्सा प्रणाली जिसमें होमियोपेथी, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा भी सम्मलित है, के लिये पहली योजना में 0.4 करोड़, दूसरी योजना में 4.0 करोड़, तीसरी योजना में 9.8 करोड़ रुपये नियत किये गये थे तथा चौथी योजना में 10 करोड़ रुपये व्यय करने का विचार है।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं यह जान सकता हूं कि माननीय मन्त्री का ध्यान हाल की आलोचना की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें आधुनिक तथा देशी चिकित्सा को मिलाने के सम्बन्ध में कहा गया था। मेरे विचार में होमियोपेथी एक देशीय-प्रणाली नहीं है। चाहे वह कुछ

भी हो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देशीय चिकित्सा की परिशुद्धिता बनाये रखेगी और देशी दवाईयों को आधुनिक दवाईयों से मिलने न देगी ।

डा० एस० चन्द्रशेखर : यह एक आवश्यक प्रश्न है और मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहुंगा कि इस विषय में तीन प्रस्ताव हैं । पहली वह संस्थाये है जहाँ शुद्ध या शुद्ध देशी पद्धति की दवाई प्रयोग की जाती, दूसरे मिली-जुली या आधुनिक प्रणाली है जिसमें आधुनिक.....

जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह 'नौन शुद्ध' है परन्तु अशुद्ध नहीं है । एकीकरण की प्रणाली भी चलती है, वह अपनी इच्छा पर निर्भर करती है ।

अवमूल्यन तथा विदेशी मुद्रा-संसाधन

+

*44. **डा० कर्णी सिंहजी** : **श्री सी० सी० देसाई** :
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के बाद हमारे सभी प्रकार के आयातों, विशेषकर खाद्य सामग्री तथा प्रतिरक्षा सामग्री के आयात, पर विदेशी मुद्रा का व्यय बढ़ जाने के कारण भारत के विदेशी मुद्रा-संसाधनों में कोई कमी हुई है; और

(ख) क्या रुपये का अवमूल्यन अपने वांछित उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

उपप्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क): जी नहीं ।

(ख) अवमूल्यन के उद्देश्यों को पूरा करने में कहाँ तक सफलता मिली है इस बात का पता अभी इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अवमूल्यन के प्रभाव का पता लगाने के लिये किसी मंत्रालय ने कोई समिति नियुक्त की है ?

श्री मोरार जी देसाई : इसके लिये किसी समिति की आवश्यकता नहीं है । वित्त मंत्रालय इस मामले में ध्यान दे रहा है ।

श्री स० चं० सामन्त : मैं यह जानना चाहता था कि क्या किसी मंत्रालय ने इस विषय में कुछ कार्य किया है । और क्या यातायात मंत्रालय ने इस विषय पर विचार किया है और सरकार को अपनी सिफारिशें दी हैं ?

श्री मोरार जी देसाई : मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री कर्णी सिंह जी : अवमूल्यन के पश्चात से हमारे निर्यात तथा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई है । क्या सरकार पिछले नौ महीनों के परिणाम स्वरूप यह सोचने पर मजबूर नहीं हो गई है कि अवमूल्यन का किया जाना एक जल्द बाजी का तथा अबुद्धिमता पूर्ण कदम था ।

श्री मोरार जी देसाई : अब किसी प्रकार के विचार भी अवमूल्यन की असलीयत को नहीं बदल सकते ।

श्री कर्णी सिंह जी : माननीय मंत्री ने हमें इस बात से सूचित नहीं किया कि अवमूल्यन का किया जाना बुरी अथवा अच्छी दशा में एक कदम था।

श्री मोरार जी देसाई : सब अपने अपने विचार रखने के लिये स्वतन्त्र हैं।

श्री बलराज मधोक : हम सरकार का मत जानना चाहते हैं।

श्री नाथ पाई : यदि आप उस समय वित्त मन्त्री होते तो क्या आप अवमूल्यन करते ?

श्री हो० ना० मुकर्जी : माननीय उप-प्रधान मन्त्री ने कहा है कि यह अपने-अपने विचार हैं। एक माननीय सदस्य, सभा की ओर से, अवमूल्यन के विषय में सरकार की वास्तविक राय जानना चाहते हैं। उनको सरकार की राय की जानकारी मिलनी चाहिये।

श्री मोरार जी देसाई : मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि अवमूल्यन से हमें उतना लाभ नहीं हो सका है जितना की हमें आशा थी।

श्री सी० सी० देसाई : क्या सरकार यह बतायेगी कि इस समय बाजार में रुपये की क्या कीमत है।

क्या यह सच है कि एक रुपया का मूल्य 11 डालर तथा 31 स्टर्लिंग की बराबर हो गया है और क्या सरकार तीसरी बार भी अवमूल्यन करना आवश्यक समझ रही है ?

श्री मोरार जी देसाई : मैं अपनी शक्ति अनुसार फिर से अवमूल्यन नहीं होने दूंगा।

Shri Prakash Vir Shastri : After devaluation the government made a programme to promote export. I want to know whether the government has been succeeded in promoting export according to its calculated figure ? If not, what are the reasons for not achieving the objects and what steps are being taken to improve them ?

Shri Morarji Desai : We took some steps to promote export. It is right that we could not get any success in it, because we have not enough to export.

श्री नाथ पाई : पिछले बजट सत्र में अवमूल्यन का प्रश्न सभा में तीन बार उठाया गया था और एक अवसर पर वर्तमान योजना मन्त्री ने जोर देकर यह आश्वासन दिया था कि सरकार का अवमूल्यन करने का कोई इरादा नहीं हैं। मैंने इस विषय को तीन बार विभिन्न अवसरों पर उठाया था। इसकी घोषणा जब की गई जबकि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा था। सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्य में यह कहा गया था कि भविष्य की समस्त सहायता की आशा अवमूल्यन पर ही निर्भर है। क्या इनमें से कुछ आशायें पूरी हुई हैं। आयोग ने चौथी पंच वर्षीय योजना के बारे में क्या सिफारिश की है ? मुझे यह दो सरल प्रश्न पूछने हैं।

श्री मोरार जी देसाई ; प्रश्न सरल हो सकते हैं परन्तु उनके उत्तर उतने सरल नहीं हो सकते। बैल्स आयोग की सिफारिशें गोपनीय हैं और मैं उन्हें बतलाने में असमर्थ हूँ। वह विश्व बैंक तथा सरकार के बीच में एक व्यवस्था है और मैं इस व्यवस्था को नहीं तोड़ सकता।

श्री नाथ पाई : मेरा दूसरा प्रश्न शेष रह जाता है, यह कहा गया था कि अवमूल्यन किसी देश के दबाव में आकर नहीं किया गया, परन्तु सलाह अवश्य ली गई थी और उसमें कहा गया था कि इसके लाभ इससे हानि की तुलना में कहीं अधिक है। उसमें से एक यह था कि इससे हमें मिलने वाली सहायता में वृद्धि होगी। उसको अब क्या हो गया है ?

श्री मोरार जी देसाई : उस समय जो सहायता स्थिर हो गई थी वह अब बढ़ने लगी है मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ ।

श्री स्वैन : एक प्रश्न के उत्तर में योजना मन्त्री ने अभी कहा था कि यदि हम अवमूल्यन नहीं करते तो हमारे विदेशी व्यापार की दशा और भी खराब होती । अभी वित्त मन्त्री ने यह कहा है कि अवमूल्यन से हमें उतना लाभ नहीं हुआ जितना की हमें उससे आशा थी । इससे यही पता लगता है कि दोनों मन्त्रियों की अवमूल्यन के विषय में एक राय नहीं है । वे सभा को किस राय से सूचित करना चाहते हैं ।

श्री मोरार जी देसाई : इस विषय में विभिन्न मत होने आवश्यक हैं ।

श्री कर्णी सिंह : माननीय मन्त्री ने अभी कहा कि अवमूल्यन का निर्णय बदला नहीं जा सकता । क्या सरकार मुद्रा की कीमत फिर से निर्धारित नहीं कर सकती ? (बाधायें)

Shri Abdul Gani : Whether the government will consider to revalue the Indian Currency, taking into consideration, the loss sustained as a result of devaluation ?

Shri Morarji Desai : The only remedy before us is, to make our economy stable and we are considering what we should do in this respect.

श्री मनोहरन : अभी वित्त मन्त्री ने यह कहा था कि इससे अधिक लाभ नहीं हुआ । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वित्त मन्त्री, इस बेवकूफी या गलती, जो सरकार ने की है, इसको सुधारने का विचार रखते हैं ?

श्री मोरार जी देसाई : माननीय सदस्य द्वारा निकाले गये तात्पर्य से मैं सहमत नहीं हूँ । परन्तु मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये जो भी आवश्यक होगा वह किया जायेगा ।

श्री मनोहरन : वर्तमान वित्त मंत्री ने एक दिन कहा था कि उससे केवल भारतीय रुपये का ही अवमूल्यन नहीं हुआ है अपितु देश का भी अवमूल्यन हो गया है । इसलिये में समझता हूँ.....

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने ऐसा कहा है ?

श्री मनोहरन : जी हाँ । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी ।

श्री स० मो० बनर्जी : हमें पहले बताया गया था कि कुछ प्रयोजनों के लिये अवमूल्यन किया गया था । हमारी जानकारी यह है कि विश्व बैंक के दबाव के कारण ऐसा किया गया था । चूँकि इससे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है और इससे हमारे निर्यात में भी वृद्धि नहीं हुई है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री सारे मामले पर पुनर्विचार करेंगे और इस राष्ट्रीय अपमान को हटाने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री मोरार जी देसाई : यदि माननीय सदस्य अवमूल्यन के इस प्रश्न की सारी अन्तर्हित बातों को समझते हैं तो वह अनुभव करेंगे कि एक बार किये गये अवमूल्यन को उलटा नहीं किया जा सकता । अब तो केवल यही किया जा सकता है कि अर्थ व्यवस्था को इस तरीके से सुदृढ़ किया जाये कि रुपये की शक्ति बढ़ जाये जिससे फिर हमारे निर्यात व्यापार में वृद्धि होगी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : In view of the fact that the devaluation has not yielded the desired benefits, may I know what radical steps are sought to be taken to stimulate exports and to neutralise the losses sustained ?

Shri Morarji Desai : The hon. Member may please wait until the presentation of the next budget.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि सरकार के अपने सूत्रों के अनुसार अवमूल्यन के कारण निर्यात व्यापार में लगभग 13 करोड़ डालर की गिरावट आई है; क्या यह संख्या पहले के मुकाबिले बहुत अनुकूल है जबकि इससे पूर्व इस दिशा से हम 2.45 करोड़ डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित करते थे ? सरकार भविष्य के निर्यात व्यापार में उस घाटे को किस तरह पूरा करना चाहती है ?

श्री मोरार जी देसाई : यह सच नहीं है कि अवमूल्यन के कारण निर्यात में गिरावट आई है। निर्यात में गिरावट के कारण और हैं जैसे कि मार्किट की हालत, यहाँ पर माल की उपलब्धता और अन्य स्थान पर इसकी माँग और कीमतें। इसलिये यह प्रश्न नहीं है ....

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जून के बाद निर्यात में कमी होने और जून से पहले निर्यात में वृद्धि होने के क्या कारण हैं।

श्री मोरार जी देसाई : यह तो मौसमी उतार चढ़ाव है। माननीय सदस्य को इसका अनुभव है और उन्हें इसको जानना चाहिये।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या वर्तमान परियोजनाओं और उनकी क्रियान्विति पर अवमूल्यन के प्रभाव का अनुमान लगाया गया है और यदि हाँ, तो देश की बड़ी परियोजनाओं के व्यय में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री मोरार जी देसाई : विदेशी मुद्रा की बढ़ी हुई दर के अनुपात से उन परियोजनाओं पर होने वाले व्यय के विदेशी मुद्रा अंश में निश्चय ही वृद्धि हुई है।

श्री देवकी नन्दन पटोदिया : क्या सरकार इस बात को जानती है कि निर्यात के मामले में अवमूल्यन के पश्चात् जो नीतियाँ अपनाई गई थीं वे निर्यात के मार्ग में बाधक सिद्ध हुई हैं और अवमूल्यन का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है। इसका उत्तर दिया जा चुका है।

Shri Madhu Limaye : Sir, in view of what the hon. Minister has stated that devaluation has belied all hopes and expectations, may I know whether Shri Ashok Mehta and Shrimati Indira Gandhi propose to resign on this issue ?

श्री हेम बरूआ : समाचार पत्र में छपी एक खबर में कहा गया है :

"पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के व्यापार को, जो कि पिछले दस वर्षों से निरन्तर बढ़ता रहा है, अवमूल्यन के बाद की अवधि में बड़ा आघात पहुँचा है।"

मैं जानता हूँ कि यदि श्री मोरारजी देसाई वित्त मन्त्री होते तो वह अवमूल्यन को लागू न करते। जब अवमूल्यन लागू किया गया था, तो हमारे मंत्रियों ने रेडियो पर अपने भाषणों में अनेक वायदे किये थे कि अवमूल्यन से हमारी अर्थ व्यवस्था को अनन्य लाभ होंगे। उनमें से एक था

निर्यात में वृद्धि और दूसरा विदेशी सहायता प्राप्त करना। इन सब बातों के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ कि उन वायदों को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है।

श्री मोरारजी देसाई : प्रश्न में दो परस्पर विरोधी बातें हैं। माननीय सदस्य की यह धारणा है कि अवमूल्यन से लाभ नहीं हुआ है और न होगा। अब वह चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा अभ्यास करूँ कि जिससे लाभ हो जाये। मैं नहीं समझता कि इन दो परस्पर विरोधी बातों का मेल कैसे हो सकता है।

श्री नम्बियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप विदेशों को हमारी देनदारी और ब्याज में काफी वृद्धि हुई है, विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में अवमूल्यन के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिये क्या उपचारीय उपाय किये गये हैं ?

श्री मोरार जी देसाई : कृपया बजट पेश होने तक प्रतीक्षा कीजिये।

प्रो० आर० के० अमीन : अब चूंकि आप यह मानते हैं कि अवमूल्यन विफल रहा है, तो क्या इसका कारण यह है कि अवमूल्यन पर्याप्त नहीं था या यह कि अवमूल्यन-पश्चात के उपाय ठीक नहीं थे ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी एक सामान्य प्रश्न है।

श्री एस० एस० कोठारी : अवमूल्यन से कीमतों और मुद्रास्फीति में किस हद तक वृद्धि हुई है?

श्री मोरार जी देसाई : इसका अनुमान लगाना मेरे लिये संभव नहीं है।

श्री एस० एस० कोठारी : परन्तु क्या आप यह मानते हैं कि इससे कीमतों में पर्याप्त वृद्धि हुई है ?

श्री मोरारजी देसाई : मूल्यों में वृद्धि हुई है; इसका कारण क्या है यह मैं नहीं कह सकता।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या सरकार पुनः अवमूल्यन करने पर विचार कर रही है क्योंकि रूपये का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और गिर गया है ?

श्री मोरार जी देसाई : अग्रेतर अवमूल्यन के लिये सरकार के सामने बिलकुल कोई प्रस्ताव नहीं है।

गंडक बांध योजना

\+

*45 **श्री विभूति मिश्र** : **डा० महादेव प्रसाद**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या सिंचाई व विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंडक बांध योजना को पूरा करने तथा जून, 1967 तक सिंचाई के लिये किसानों को पानी उपलब्ध कराने का कार्यक्रम निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चल रहा है;

(ख) इस बांध के पूर्ण रूप से तैयार हो जाने पर कितने क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) गंडक परियोजना पर काम प्रगति पर है। बराज को जून 1967 तक पूरा करने के लिये प्रयास किया गया था, पर अब इसके जून 1968 तक पूरा होने की सम्भावना है और इससे 1968 की खरीफ ऋतु से सिंचाई उद्देश्यों के लिये पानी मिलने की सम्भावना है।

(ख) 36 लाख एकड़

(ग) सन् 1966 के दौरान अप्रत्याशित अगेती बाढ़ ने काफर बांध को नुक्सान पहुँचाया और मई 1966 में एक सख्त तूफान ने निर्माण कालोनी और बिजली प्रतिष्ठानों को उखाड़ दिया था।

Shri Bibhuti Mishra : Central Government have sanctioned 150 Crores of rupees for irrigation to the Bihar government. There have been so many schemes like Tenughat, Sona barrage, and Kosi projects included in it. Rupees 125 crores are expected to be spent only on Gandak barrage. I want to know how would this work be done ? We have already spent 85 crores of rupees on Gandak barrage till last year. I want to know how the amount of rupees 100 crores would be spent on Gandak barrage and when would the government expect it to be completed taking into consideration that there is rocky land of 49 miles at the bank of Gandak river ?

डा० कु० ल० राव : गंडक बैराज के कार्यक्रम को समाप्त करने के लिये जितनी धनराशि की आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था चौथी योजना में अस्थायी तौर पर कर ली गई है। अतः गंडक बैराज तथा नहरों इत्यादि का समस्त कार्य चौथी योजना के अन्त तक समाप्त होने की सम्भावना है।

Shri Bibhuti Mishra : It has been said regarding Gandak Project in the statement that.

"गंडक परियोजना के कार्य में नियमित रूप से प्रगति हो रही है।"

The work for the barrage was scheduled to be completed by the 30th June. It was then postponed till 30th June, 1968. In addition to that 109 bridges have to be built. Out of these, three have been completed last year and the work was in progress on six bridges. I want to know when would the work on Gandak Bridge and Gandak Project be completed ? It has been said in the statement that the work is in progress, but it does not appear to be a fact.

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि बैराज का काम पिछले साल जून 1967 में समाप्त होने की सम्भावना थी। परन्तु दुर्भाग्यवश बाढ़ आ जाने तथा तूफान के कारण, जैसा कि मैंने अपने प्रश्न के (क) भाग में कहा है, हम अपना कार्यक्रम समय के अनुसार आरम्भ नहीं कर सके। इसी कारण हम अपने कार्यक्रम में पीछे रह गये हैं और बैराज का कार्य जून 1968 तक समाप्त होने की सम्भावना है।

श्री का० ना० पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस विषय में जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के चितौनी बांध में दराड़ आ गई है और यदि इसकी मरम्मत में विलम्ब किया गया तो गंडक नहर के काम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने जो कहा है वह सच है। चितौनी बांध में दराड़ आने से गंडक नहर को खतरा हो गया है। अतः केन्द्र राज्य सरकार पर जोर दे रहा है कि इस बांध के बनाने में सावधानी से काम लिया जाये।

Shri Mani Bhai J. Patel : May I know when did you take over the charge and when it will be completed ? Why there has been so much delay ?

डा० कु० ल० राव : गंडक बैराज के बनाने का कार्य सन् 1963 में आरम्भ हुआ था। वित्त की कमी की वजह से इसके कार्य में देरी हुई है। वित्त की स्थिति अभी भी तंग है और इसी कारण से संकट उत्पन्न हुआ है। कुल 36 खाईओं में से 20 खाईओं में हमने काम पूरा कर लिया है और आशा है कि वर्षा ऋतु से पहले ही 10 और खाईओं में काम पूरा हो जायेगा। बाकी का सब काम, जैसा कि मैंने कहा है जून 1968 तक पूरा हो जायेगा।

Shri Achal Singh : Whether the Hon. Minister may inform how much land would be irrigated in Uttar Pradesh with the help of Gandak barrage ?

डा० कु० ल० राव : गंडक बैराज के द्वारा उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख भूमि की सिंचाई होगी।

Shri Bibhuti Mishra : When Shri Fakhruddin Ahmad was the irrigation Minister, he assured this House, during an half an hour discussion that Central Government is undertaking this work because the Bihar Government is not in a position to spend. I want ot know whether they would follow the commitment made by Shri Ahmad ?

डा० कु० ल० राव : दुर्भाग्य से इस परियोजना को अपने हाथ में ले लेना केन्द्र के लिये सम्भव नहीं है। फिर भी, जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि इस परियोजना के लिये पूरी धन राशि की व्यवस्था चौथी योजना में कर दी गई है, इसलिये इस परियोजना को पूर्ण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

Shri Bibhuti Mishra : Shri Fakhruddin Ahmad had said that the Central Government would take over this scheme. Hon. Minister has not replied this point. I want an answer to that point also.

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि मेरे पूर्वाधिकारी ने यह कहा था कि केन्द्र सरकार इस परियोजना का कार्य अपने हाथ में ले लेगी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान नहर परियोजना के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने और किसी परियोजना का कार्य अपने हाथ में नहीं लिया है ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : This Gandak Bund project has been pending for the last three years. I want to know when did this project was started and what was the amount sanctioned for it ? It is clear that this project could not be completed with the sanctioned amount. I want to know how much more amount would be spent on it and the time that would be taken to complete this project and the area it would be able to irrigate.

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि यह परियोजना बहुत बड़ी है और यह 36 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने में शक्य है। अतः सरकार इस परियोजना को जल्दी से जल्दी पूरी करने के लिये आतुर है। दुर्भाग्यवश इसको पूरा करने में कुछ कठिनाईयाँ सामने आ रही हैं। चूंकि अब इस योजना के राशि की चौथी योजना में व्यवस्था कर दी गयी है, इसकी चौथी योजना के अन्त में पूरा होने की आशा है। इस परियोजना पर कुल 121 करोड़ की लागत आयेगी। हमने अब तक इस योजना पर 35 करोड़ रूपये व्यय किये हैं बाकी 86 करोड़ रुपये की व्यवस्था चौथी योजना में कर दी गयी है।

उत्तर प्रदेश के लिये वित्तीय सहायता

+

* 46 **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों का मँहगाई भत्ता बढ़ाने के लिये हाल में केन्द्रीय सरकार से कुछ वित्तीय सहायता माँगी थी;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि माँगी थी; और

(ग) कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) पिछले कई महीनों में कोई औपचारिक माँग प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

श्री० स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि जब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी, तो भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री को केन्द्र से 31 करोड़ रुपया देने का आश्वासन दिया था । चूंकि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को समान रूप से वेतन भत्ते के सिद्धान्त को सब राज्य सरकारों, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, स्वीकार कर लिया है और क्योंकि यह केन्द्र की सहायता के बिना क्रियान्वित नहीं हो सकता, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा भूतपूर्व मुख्य मन्त्री को धनराशि के दिये जाने के विषय में दिये गये आश्वासन अभी भी हैं और क्या वर्तमान वित्त मन्त्री वह राशि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य मन्त्री को देगें ।

श्री० कि० च० पन्त : जुलाई सन् 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को मँहगाई भत्ता देने के लिये केन्द्र सरकार से कुछ अतिरिक्त सहायता माँगी थी । परन्तु इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया था । हड़ताल के समय भी केन्द्र सरकार से जो प्रार्थना की गयी थी उसको भी स्वीकार नहीं किया गया था ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्योंकि अधिकतर राज्य सरकारों ने, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया है कि राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों में मँहगाई भत्ते के मामले में कोई असमानता नहीं होनी चाहिये । क्या राज्य सरकारों को अपने आश्वासनों को पूरा करने के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो उसी प्रश्न को फिर से दोहराया गया है ।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : राज्य के कर्मचारियों को उनका वेतन तथा भत्ता देना राज्य सरकार का दायित्व है वह केन्द्र का दायित्व नहीं हो सकता ।

बम्बई जल सम्भरण योजना के लिये वित्तीय सहायता

+

* 47 **श्री नाथपाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई के लिये पर्याप्त जल सम्भरण की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता माँगी है अथवा क्या भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तुत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) बम्बई शहर में पानी की व्यवस्था बढ़ाने के लिये आर्थिक सहायता का कोई विशिष्ट अनुरोध भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि भारत सरकार ने भटसइ जलपूर्ति योजना तकनिकी दृष्टि से मंजूर कर ली है जिससे इस शहर को प्रतिदिन 25 करोड़ गैलन अतिरिक्त पानी मिलने की सम्भावना है। इस योजना के राज्य की चौथी योजना में 35.20 करोड़ रुपये का नियतन कर दिया गया है तथा इसे राष्ट्रीय जलपूर्ति तथा सफाई कार्यक्रम (नगर) को दी जाने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता अर्थात् 100 प्रतिशत ऋण भी मिल सकता है।

श्री नाथ पाई : मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्हें इसकी जानकारी है कि बम्बई की आबादी पिछले २० सालों में चारगुनी हो गई है, और वर्षा ऋतु की समाप्ती के पश्चात् वहाँ अधिकतर पानी की कमी रहती है। वहाँ का निगम इसको दूर करने की योजना बना रहा है, परन्तु सरकार कहती है कि धनराशि उपलब्ध नहीं है। यदि हमें बम्बई की पानी की आवश्यकता, जो कि मुख्य आवश्यकता है, को दूर करना है तो चौथी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्थित राशि पर्याप्त नहीं है।

डा० एस० चन्द्रशेखर : यह ठीक है कि बम्बई की जनसंख्या स१ 1941 में 15 लाख थी जो स१ 1966 में बढ़ कर 51 लाख हो गई है। हमने बम्बई के लिये एक योजना बनाई है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि स१ 1981 में बम्बई की जनसंख्या 75 लाख तक ही पहुँचने की सम्भावना है। अतः स१ 1971 तक बम्बई को 4180 लाख गैलन पानी की प्रति दिन आवश्यकता और स१ 1981 में 5600 लाख गैलन प्रति दिन। वह साहसिक शहर है पर दुर्भाग्य से हमारे सामने धन की कमी का प्रश्न है।

इसलिये भटसइ पानी संभरण योजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करनी होगी। इस विषय में पत्र व्यवहार चल रहा है और विश्व बैंक के श्री क्रोमबैक ने इसका निरिक्षण किया है तथा निगम और राज्य सरकार से विचार परामर्श किया है। इस योजना पर दो प्रकार का अध्ययन चल रहा है। प्रथम, इस योजना का मूल्यांकन तथा द्वितीय, इस योजना की व्यवहार्यता का अध्ययन। इस योजना में 68.47 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है। हमें आशा है और विश्वास है कि बम्बई निगम, महाराष्ट्र राज्य तथा विश्व बैंक में इस सम्बन्ध में कुछ समझौता हो जायेगा ताकि बम्बई शहर की बढ़ती हुई जनता को पर्याप्त पानी देने का आश्वासन दिया जा सके।

श्री नाथ पाई : यदि महाराष्ट्र सरकार, निगम और विश्व बैंक अपने कार्य में असफल हो गये तो, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार बम्बई निगम तथा महाराष्ट्र सरकार को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देगी। मैं इस विषय में वित्त मन्त्री से आश्वासन चाहता हूँ।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : मैं भारत का निवासी हूँ। केन्द्र सरकार के संसाधन महाराष्ट्र राज्य से अच्छे नहीं हैं, शायद महाराष्ट्र राज्य के संसाधन कुछ अच्छे ही हों।

चौथी पंचवर्षीय योजना में विद्युत् उत्पादन

+

* 48 **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में विद्युत् उत्पादन संबंधी रूपरेखा अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है,

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं। चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) किन्तु अस्थायी परिकल्पना के अनुसार चौथी योजना के दौरान 100 लाख किलोवाट की अतिरिक्त प्रतिष्ठापित क्षमता उपलब्ध हो जाएगी और नये पारेषण पथों का निर्माण हो जाएगा ; इन पर 2160 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

(ग) चौथी योजना के प्रथम वर्ष के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि प्रयोजनों, औद्योगिक प्रयोजनों और घरेलू उपभोग के लिये कोई आवंटन किया जायेगा ? जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक मैं समझता हूं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलेगी। क्या कृषि प्रयोजनों, औद्योगिक विकास और घरेलू उपभोग के लिये कोई निश्चित प्रतिशतता निर्धारित की गई है ? क्या इनके बारे में कोई जानकारी है या नहीं ?

डा० कु० ल० राव : इसके अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये 305 करोड़ रु० का उपबन्ध किया गया है और योजना में हम लगभग 7 लाख कुंओं के लिये बिजली देने की आशा रखते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सारा खर्च केन्द्र ही वहन करेगा अथवा क्या उसको केन्द्र और राज्यों दोनों में बांटा जायेगा यदि हाँ तो केन्द्र कितनी राशि देगा और राज्य कितनी ?

डा० कु० ल० राव : बिजली के क्षेत्र में लगभग सारी राशि केन्द्र द्वारा ऋण के रूप में दी जाती है और 2,160 करोड़ रु० में से 1900 करोड़ रु० राज्यों को जाते हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति बिजली के उपभोग और उसके उत्पादन क असंतुलन को ठीक करने के लिये सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि देश में स्थानीय असंतुलन है। परन्तु एक योजना में ऐसा करना संभव नहीं है। इसको शनैः-शनैः करना होगा। हम प्रत्येक राज्य में भार-सर्वेक्षण कर रहे हैं और आशा हैं कि हम इस सर्वेक्षण के अनुसार बिजली दे सकेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether while laying targets of electricity production for the fourth Plan, this hon. Minister ascertained that U. P. is one of those states where power generation is the minimum, if so the nature of the programmes chalked out for enhanced generation of power in U. P. in the Fourth Plan ?

अध्यक्ष महोदय : यदि हम प्रत्येक राज्य के प्रश्न को लेते हैं तो इसका कोई अन्त नहीं होगा। यह योजना के बारे में एक सामान्य प्रश्न है।

डा० कु० ल० राव : उत्तर प्रदेश के लिये हम पूरी अपेक्षित राशि दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रत्येक राज्य के मामले को लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बाबू राव पटेल : यह कैसा नियोजन है ? पंचवर्षीय योजना दो वर्षों से हमारे सामने है और अभी तक हमने इसको आरम्भ नहीं किया है। वार्षिक योजना क्यों नहीं रखते ?

डा० कु० ल० राव : विद्युत् परियोजनाओं का काम हमने चालू कर दिया है और उसमें पर्याप्त प्रगति हुई है।

Shri A. S. Saigal : What amount has been allocated for Hansdo power project of Madhya Pradesh during the Fourth-Five year Plan ?

डा० कु० ल० राव : यही उन भाग्यशाली राज्यों में से एक है जिसके लिये पूरी राशि दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक राज्य के लिये प्रश्न की अनुमति नहीं दूँगा। योजना के बारे में यह एक सामान्य प्रश्न है।

श्री स० मो० बनर्जी : तृतीय योजना के दौरान किसानों को बिजली उद्योगों की अपेक्षा बहुत अधिक दरों पर बिजली दी गई थी। क्या चतुर्थ योजना के दौरान किसानों को सस्ती से सस्ती बिजली देने के लिये ठोस प्रयत्न किये जायेंगे ?

डा० कु० ल० राव : मितव्ययता प्राप्त करने, डीजल सैटों के स्थान पर बिजली के सैट लगाने और बिजली पैदा करने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जायेगा। इससे बिजली में लागत कम होगी।

National Small Industries Corporation Ltd.

SHORT NOTICE QUESTION No. 1 **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :—Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that ten employees of the National Small Industries Corporation Ltd., are on hunger strike,

(b) whether it is also a fact that prior to this they staged a demonstration also;

(c) if so, the details of their demands; and

(d) the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs Bhanu Prakash Singh : (a) to (d) : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Yes, Sir, A batch of ten employees of the National Small Industries Corporation has resorted to hunger strike from the morning of the 16th March, 1967 and different batches of employees are taking it up on the days following :

(b) Demonstrations have been staged prior to hunger strike during the lunch recess,

(c) The demands are :

(i) Cancellation of orders relating to transfer of an assistant from Delhi to Calcutta,

(ii) Reduction in working hours of the ministerial employees of the Indo-German Prototype Production and Training Centre, Okhla, to bring them in line with what is observed by their counterparts in the Head office:

(iii) Reinstatement of the two seewpers and one telephone operator whose services had been terminated, and

(iv) Recognition of the N. S. L C.--P. T. C. Employees Union.

(d) The Management of the National Small Industries Corporation are trying to consider the demands to the extent feasible and permissible under the terms of contract and the rules with a view to restoring normal conditions and bringing the agitation to an end. The Government are fully posted with these developments and will take such action as may be required.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the employees now resorting to strike submitted any representation, if so, the, decision taken by Government thereon and the nature of the assurance given ?

The Minister of Industrial Development aud Company Affairs (Shri Fakhruddin Ahmad) : As has been stated in the statement four demands were put forward on behalf of the workers. One of the demands pertained to the transfer of an Assistant from Delhi to Calcutta. Talks were held with them in this respect and they were told that the said transfer was in the public interest as well as in the interest of the transferee. He was transferred from Delhi to Calcutta. Later when he expressed about his inconvenience, we decided to transfer him to Allahabad so that he remained near his native place.

Their second demand was that the working hours be reduced by half an hour. This was also negotiated and it was decided that since the production work concerned the Assistant, if the working hours of the Assistant were reduced, it would adversely effect the production. For this reason the working hours can not be reduced. This question also does not arise in view of the fact that in the Conditions of Service those people have undertaken to work for Forty and a half hours a week.

Their third demand was in respect of the dismissal of Scavengers. They were given employment for only one year. When they complained it was decided to give them alternative jobs. In this way their demand was met.

The question of the dismissal of an operator was also raised. He did not qualify the typing test. A notice was given to him. Regarding this our men told that it could be considered and decided.

We had promised to consider three of their four demands but so far as the transfer is concerned, that is in public interest and also in the interest of the Assistant concerned. Therefore that demand cannot be accepted. That is the root cause of the strike.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The information in the possession of the hon. Minister has been sent to him by a Government Officer. Has the hon. Minister tried to settle this matter through negotiation ? Transfer brings about a lot of trouble since housing accommodation is not easily available. Their demand to reduce the working hours is reasonable since in that case they have to counter lot of obstacles. Do Government propose to have direct talks with those people with a view to settling this issue ?

Shri Fakhruddin Ahmad : If they want to see me in this matter, I have no obection to it. We will certainly consider their difficulties if there are any.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I wanted to know whether the hon. Minister has of his own tried to negotiate with them with a view to finding a solution.

Shri Fakhruddin Ahmad : As I stated those people did not request to see me. If they want to see me I will certainly listen to their grievances.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Seizure of Gold from Shri Chagganlal Godavat of Rajasthan

*49. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the statement made on the 10th November, 1966 regarding the Seizure of gold from Shri Chagganlal Godavat of Rajasthan and state:

(a) the action taken by Government in respect of 153 kilograms of gold recovered from Shri Chagganlal Godavat of Chhoti Sadri,

(b) whether Government have recovered the quantity of gold entered by the Police in its Panchnama,

(c) whether Government have recovered by now the quantity of gold a receipt in respect of which was given by the District Magistrate of Chittorgarh; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) :

(a) On receipt of information the premises of Shri Chhaganlal Godavat, at Bagana in Madhya Pradesh and at Chhoti Sadri in Rajasthan, were searched once in early June, 1965 and second time between late July and early August, 1965. The recovery of gold from Shri Chhaganlal Godavat was as a result of these searches at the two places; and the quantity of gold recovered and seized was 244.061 kgs. (and not 153 Kilograms: This gold has been confiscated. Hon'ble Member's impression about 153 Kilograms of gold is possibly based on the reference in the Statement made in the House on 10-11-66 to the quantity of gold mentioned in the First Information Report lodged by Shri Gunwantlal, son of Shri Chhaganlal Godavat, in which he alleged that he had entrusted 51 slabs of gold weighing 3 seers each, to Shri Ganpatlal and that the latter had returned seven slabs and misappropriated the remaining 44 slabs.

(b) and (c) As intimated by the Rajasthan Government, the same gold, as was mentioned in the Panchnama, was later received in the Chittorgarh Treasury for which a receipt was given by the District Magistrate. This gold is still in the custody of the State Government.

(d) The Rajasthan State authorities have been addressed to hand over the gold recovered by the Rajasthan Police for action under Customs/Gold Control law. The gold could not be taken over so far because this gold at present is case property in the matter which is sub judice in a Rajasthan court on a challan filed by the State police authorities against Shri Ganpatlal on 19-9-1966 with reference to the complaint lodged by Shri Gunwantlal son of Shri Chhaganlal Godavat.

पेंशन की राशि में वृद्धि

+

*50 **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत सरकार से पेंशन पाने वाले सेवा-निवृत्त लोगों के संगठनों की ओर से कोई याचिका तथा/अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह प्रार्थना की गयी है कि चूंकि निर्वाह व्यय बढ़ गया है, इसलिये उनकी पेंशन की राशि बढ़ाई जानी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को इस समय दी जा रही पेंशन की राशि में वृद्धि करने का है; और

(ग) पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने गत पांच वर्षों में क्या कार्यवाही की हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रतिमास दो सौ रुपये तक पेंशन पाने वाले पेंशनरों को 1 अक्तूबर 1963 से पेंशन में 5 रुपये से लेकर 10 रुपये प्रतिमास तक की एतदर्थ वृद्धियां दी गई थी । 1958 में 100 रुपये तक की पेंशनों के सम्बन्ध में 10 रुपये से लेकर 12.50 रुपये तक की जो अस्थायी वृद्धियां दी गयी थीं, उनके अतिरिक्त ये वृद्धियाँ दी गई हैं ।

उपर्युक्त लाभ केन्द्रीय सरकार तथा पाकिस्तान की अविभक्त प्रान्तीय सरकारों के उन विस्थापित पेंशनरों को भी दिये गये हैं जो भारत में रह रहे हैं और जिन्हें पेंशन देने की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है ।

दिल्ली / नई दिल्ली में रहने वाले पेंशनरों को केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के अधीन मिलने वाली चिकित्सा-सुविधाएं भी उपलब्ध की गई हैं ।

परिवार नियोजन कार्य-क्रम

* 51 **डा० कर्णी सिंहजी**:

श्री स० चं० सामन्त:

श्री सूपकर:

श्री श्रीचन्द गोयल: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में पिछले बारह महीनों में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप देश में जन्म-दर काफी घट रही है; और

(ग) क्या गर्भ निरोधक गोलियां तैयार करने के लिये एक कारखाना लगाने की कोई योजनाएं विचाराधीन हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) वर्ष 1966 की उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

1. स्थापित किये गये ग्राम परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों की संख्या		367
2. स्थापित किये गये ग्राम परिवार कल्याण नियोजन उपकेन्द्रों की संख्या		1350
3. स्थापित किये गये नगर परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों की संख्या		203
4. स्थापित किये गये गर्भाशयी गर्भरोधक एककों की संख्या	(क) अचल	1587
	(ख) सचल	92
	योग	1679
5. स्थापित किये गये बन्ध्यीकरण एककों की संख्या (क) अचल		1666
(ख) सचल		96
योग		1762
६. प्रयोग किये गये गर्भाशयी गर्भरोधकों की संख्या		862446
७. बन्ध्यीकरण संबंधी आपरेशनों की संख्या		691020

(ख) इस विषय पर पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण विगत बारह महीनों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति के फलस्वरूप देश में जन्म दर घट रही है या नहीं यह निश्चित रूप से बतलाना कठिन है। फिर भी ऐसे क्षेत्रों में जहां परिवार नियोजन का काम तीव्र-गति से किया गया है तथा जहाँ के बारे में अपेक्षित आंकड़े उपल०ध हैं वहाँ जन्म-दर घट रही है इसके ठोस प्रमाण हैं।

(ग) अभी तक नहीं।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ली गई तलाशियां

* 52 **श्री विभूति मिश्र :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर्तन निदेशालय ने इस वर्ष में अब तक अनेक शहरों में कितनी तलाशियां ली हैं, और

(ख) तलाशियों के क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) प्रवर्तन निदेशालय ने 1 जनवरी 1967 से 28 फरवरी 1967 तक की अवधि में सारे भारत में 198 तलाशियां लीं।

(ख) इन तलाशियों के कारण लगभग दो लाख रुपये की राशि की भारतीय मुद्रा, लगभग 41,000 रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा तथा कुछ दोषारोपणीय दस्तावेज पकड़े गये। इन मामलों में जांच-पड़ताल चल रही है।

मंहगाई भत्ता आयोग का प्रतिवेदन

+

* 53. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री क० ना० तिवारी :**

श्री विभूति मिश्र : **श्री हुक्म चन्द कछवाय :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंहगाई भत्ता आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मंहगाई भत्ता आयोग को जो दो प्रश्न निर्देशित किये गये थे उनमें से, आयोग ने केन्द्रीय सरकार के प्रति माह 400 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 1-12-1965 से मिलने वाले मँहगाई भत्ते की पर्याप्तता के प्रश्न पर अपनी रिपोर्ट पहले ही दे दी है और उसकी सिफारिशें पूरी तौर से लागू कर दी गयी हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भविष्य में दिये जाने वाले मँहगाई भत्ते को नियंत्रित करने वाले सिद्धान्तों से सम्बन्धित सामान्य प्रश्न के बारे में आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

(ख) आयोग सामान्य प्रश्न पर अपनी रिपोर्ट सम्भवतः मई 1967 के अन्त तक दे देगा।

बेल शिष्टमंडल (मिशन) का प्रतिवेदन

*54. **श्री नाथ पाई :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाने का कार्य करने वाले बेल शिष्टमंडल ने विश्व बैंक को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या भारत सरकार को वह प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) : जी, हां।

(ख) और (ग) : विश्व बैंक के शिष्टमंडल (मिशन) ने अपनी रिपोर्ट विश्व बैंक के अध्यक्ष को दी है, भारत सरकार को नहीं। चूंकि बैंक इस रिपोर्ट को अपना सीमित (रेस्ट्रिक्टेड) दस्तावेज मानता है, इस कारण इसमें कही गयी बातें प्रकाशित नहीं की जा सकतीं। इसलिए मुझे खेद है कि मैं रिपोर्ट की बातों के बारे में सवालों का जवाब देने में असमर्थ हूँ।

राजस्थान नहर पर "लिफ्ट चैनल" का निर्माण

* 55. **डा० कर्णी सिंहजी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लूंकरनसार जैसे खारी पानी वाले क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराने के लिये राजस्थान नहर पर एक 'लिफ्ट चैनल' का निर्माण करने के प्रस्ताव अब किस अवस्था में हैं;

(ख) क्या इस योजना के लाभार्थ चुरू जिले को इस में सम्मिलित करने के बारे में राजस्थान सरकार से अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं; और

(ग) वास्तविक निर्माण-कार्य कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) लूंकरनसर और अन्य क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें जुटाने के लिये राजस्थान नहर से एक उठान नाली बनाने के प्रस्ताव पर एक उप समिति इस समय विचार कर रही है जो कि राजस्थान परियोजना निदेशन समिति द्वारा नियुक्त की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रस्तावों की प्राप्ति और स्कीम की स्वीकृति के शीघ्र पश्चात् स्कीम पर कार्य चालू कर दिया जायेगा।

रुपये का अवमूल्यन तथा योजना

23. **डा० कर्णी सिंहजी** :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन का हमारी योजना की प्रगति पर हुए तथा होने वाले प्रभाव का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

योजना, पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : **(क) और (ख)** : जी, हाँ। जैसा कि योजना के प्रारूप की रूपरेखा में प्रतिपादित किया गया है, चौथी पंचवर्षीय योजना के संसाधनों और परिव्ययों का निश्चय करने में रुपये के सम्मूल्य के परिवर्तन को ध्यान में रखा गया था।

सरकारी होटल तथा होस्टल

24. **श्री स० चं० सामन्त** :

क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चलाये जा रहे होटलों तथा होस्टलों में से कितने होटल और होस्टल मुनाफे में चल रहे हैं और कितने होटल तथा होस्टल घाटे में चल रहे हैं;

(ख) इन्हें चलाने की सरकारी व्यवस्था में व्याप्त त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या उनमें से कुछ होटल तथा होस्टल गैर-सरकारी प्रबन्धकों को सौंपे जा रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो कौन-कौन से और कब से ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) :

(क) दिल्ली में सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में 4 होटल हैं, जिनके नाम हैं अशोक, जनपथ, रणजीत तथा लोधी होटल। अशोक तथा जनपथ होटल फायदे में चल रहे हैं।

रणजीत तथा लोधी होटल जो कि 1965 के उत्तरार्ध में शुरू हुए थे, उन्हें आरंभिक कठिनाईयां हुईं तथा 1965-66 के अपने अस्तित्व में घाटा हुआ। फिर भी, उनके कार्य का पहला वित्तीय वर्ष 966-67 में पूरा होगा तथा इस वर्ष के वित्तीय परिणाम वर्ष के अन्त में ही मालूम होंगे।

सरकार निम्नांकित होस्टलों को चला रही है :—

. वैस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली

2. वर्किंग गर्ल्स होस्टल, नई दिल्ली

3. स्टेट गैस्ट हाउस, पटौदी हाउस, नई दिल्ली

4. सुदर्शन होस्टल, कलकत्ता

5. रेस्ट हाउस, नेपियन सी रोड, बम्बई

7. हालीडे होम, ग्रान्ड होटल, शिमला।

ये होस्टल व्यापारिक ढंग पर नहीं चलाये जाते इसलिए इनमें लाभ या घाटे का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) होटलों के कार्य पर बराबर निगरानी रखी जाती है ताकि उनका लाभ बढ़ाया जा सके तथा उसके साथ-साथ ग्राहकों को अधिक सुविधा तथा अच्छी सेवा दी जा सके।

(ग) और (घ) : शिमला में ग्रान्ड होटल का एक भाग जिसमें 51 कमरे, रसोई तथा खाना खाने का बड़ा कमरा आदि शामिल है, एक गैर सरकारी होटल मालिक को 15 अप्रैल 965 से तीन वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर दे दिया था। पहले इसे होस्टल के रूप में चलाया जाता था। किसी और होटल अथवा होस्टल को किसी गैर सरकारी प्रबंध में हस्तान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नागार्जुन सागर बांध पर दुर्घटना

25. श्री हुकमचन्द कछवाय : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1967 में हैदराबाद से 100 मील दूर नागार्जुन सागर बांध पर हुई एक दुर्घटना में 10 व्यक्ति मारे गये और 79 व्यक्ति घायल हुए :

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) घायल व्यक्तियों को तथा मृतकों के परिवारों को कितनी सहायता दी गई ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) दुर्घटना में 10 व्यक्ति तो मर गये और 53 घायल हुये।

(ख) आन्ध्रप्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना बान्ध के उमड़ मार्ग में खण्ड नं० 43 की मचान के टूट जाने के कारण हुई। मचान अभी बनाई जा रही थी और यह प्रयोग के लिये तैयार नहीं थी। 16 जनवरी, 1967 को बहुत से मजदूरों ने पूजा के सम्बन्ध में इसे अनाधिकृत रूप से व्यवहार में लाया, जिससे मचान पर बहुत से मजदूर इकट्ठे हो गये और वह टूट गई।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया कि जो 10 मजदूर मारे गये थे उनमें से 6 ठेकेदार के नौकर थे और ठेकेदार उनके परिवारों को मुआवजा देने के लिये कार्रवाई कर रहा है। जिन 53 व्यक्तियों को चोटें आई थी उनमें से 47 तो ठेकेदार के नौकर थे और उनको ठेकेदार द्वारा पोषण मजदूरी दी जा रही है। बाकी व्यक्तियों को मुआवजा / पोषण मजदूरी देने का प्रश्न विचाराधीन है।

मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई

26. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मन्त्री 24 नवम्बर 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2284 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियो ने मैसर्स ओरियेन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई द्वारा एक विशेष किस्म का कागज बेचे जाने के सौदे के सम्बन्ध में जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला है तथा अपनी ही एक फर्म को 3 रुपये प्रति किलो की दर पर कागज बेच कर सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से कितना ऋण लिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अब तक इस मामले में कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) जांच-पड़ताल चल रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में अवैध रूप से विदेशी मुद्रा का बेचा जाना

27. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर 1966 में प्रवर्तन निदेशालय ने राजधानी में अवैध रूप से विदेशी मुद्रा बेचने वाले लोगों के एक गिरोह का पता लगाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस गिरोह के पास से 81 हजार रुपये का एक यात्री चैक (ट्रैवलर चैक) पकड़ा गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की है और क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख): प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिसम्बर 1966 में 81,000 रुपये के मूल्य का कोई यात्री-चैक (ट्रैवलर चैक) नहीं पकड़ा गया; लेकिन 2 दिसम्बर 1966 को उस निदेशालय के अफसरों ने नई दिल्ली में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो तीन बैंक ड्राफ्टों के क्रय-विक्रय का सौदा कर रहे थे।

कुल मिलाकर 3,880 पौंड (अर्थात् 81,480 रुपये) के ये बैंक ड्राफ्ट लंदन के एक बैंक के नाम पर जारी किये गये थे। उक्त बैंक ड्राफ्ट पकड़ लिए गये हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ये तीनों व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये थे लेकिन बाद में इनको जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पड़ताल करने पर तीनों ड्राफ्ट जाली पाए गए थे और मामला जांच-पड़ताल के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच-पड़ताल से पता चला है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पकड़े गये तीन व्यक्तियों को मिलाकर कुल छः व्यक्ति इस मामले में ग्रस्त थे। दो और व्यक्तियों ने अदालत में आत्म-समर्पण कर दिया है और वे जमानत पर छोड़ दिये गये हैं। छठा व्यक्ति अभी पकड़ा जाना है। आगे जांच-पड़ताल चल रही है।

कलकत्ता में सीमा शुल्क सम्बन्धी छापे

28. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर 1966 के पहले सप्ताह में सीमा शुल्क अधिकारियों ने छापे मार कर कलकत्ता के बड़ा बाजार से 60,000 रुपये के मूल्य का कपड़ा और कलकत्ता के बड़े डाकघर (जी० पी० ओ०) से 170 तोला सोना पकड़ा; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दिसम्बर 1966 के पहले सप्ताह में ऐसे कोई छापे नहीं मारे गए। तथापि, 29 नवम्बर 1966 को सीमा शुल्क अधिकारियों ने बड़ा बाजार, कलकत्ता में ग्यारह दुकानों की तलाशी ली, और नायलन तथा जरी के कपड़े पकड़े, जिनका मूल्य स्थानीय बाजार भाव से 28,150 रुपया होता है।

उसी दिन अर्थात 29-11-1966 को बम्बई से भेजी गयी दो बीमा शुदा पार्सलें, पाने वाले के पास से पकड़ी गयी। यह व्यक्ति सोने का लाइसेंसदार व्यापारी है। इन पार्सलों में मोटे तथा अपरिष्कृत गहनों के रूप में 2021.900 ग्राम सोना था, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य 17,065 रुपया होता है।

(ख) नायलन और जरी के कपड़ों के पकड़े जाने के मामले में ग्रस्त 11 पार्टियों में से 7 पार्टियों का माल इस विकल्प के साथ जब्त कर लिया गया है कि वे जब्ती के बदले में कुल 3,365 रुपए का जुर्माना अदा करें। दो पार्टियों को सन्देह का लाभ दिया गया है और उनका पकड़ा गया माल छोड़ दिया गया है। बाकी दो मामलों में न्याय-निर्णय की कार्यवाही चल रही है।

पकड़े गये सोने से सम्बन्धित मामले की जांच अभी भी चल रही है।

ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया अवैध सोना

29. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या वित्त मन्त्री 24 नवम्बर 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2325 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पकड़े गये 1300 तोले अवैध सोने के मामले की जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लगने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच-पड़ताल से पता चला है कि सम्बन्धित व्यक्ति ने भारत रक्षा नियमों के स्वर्ण नियंत्रण सम्बन्धी उपबन्धों का उल्लंघन किया है । अदालत में मुकदमा दायर कर दिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चौथी योजना में स्थापित किये जाने वाले चिकित्सा कालेज

30. **श्री सुपकर:** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में कितने नये चिकित्सा कालिज खोलने का विचार है; और

(ख) क्या नये चिकित्सा कालिज प्रत्येक राज्य में सानुपातिक ढंग से स्थापित किये जायेंगे ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री डा० एस० चन्द्रशेखर : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में 25 नये मेडिकल कालेज खोलने का विचार है ।

(ख) जी हां ।

फर्मों आदि का आयकर बट्टे खाते में डाला जाना

31. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों, फर्मों अविभाजित हिन्दू परिवारों तथा कम्पनियों के नाम और पते क्या हैं, जिन पर लगाये गये आयकर की एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक राशि पिछले पांच वर्षों में बट्टे खाते में डाली गई है ;

(ख) उन फर्मों से सम्बन्धित व्यक्तियों और उन कम्पनियों के निर्देशकों के नाम और पते क्या हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उन व्यक्तियों को जेल में भेज दिया गया था, जिन पर 500 रुपये से कम राशि का आयकर बकाया था; और

(ङ) यदि हां, तो आयकर न देने के कारण पिछले पांच वर्षों में कितने व्यक्तियों को जेल भेजा गया ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

महाराष्ट्र में कोंकण के तूफान-पीड़ित लोगों का पुनर्वास

32. **श्री नाथ पाई :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पिछले तूफान के दौरान महाराष्ट्र में कोंकण के तूफान-पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को क्या सहायता दी है; और

(ग) क्या जान और माल की क्षति का कोई अनुमान लगाया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) सहायता-कार्यों के खर्च के सम्बन्ध में राज्य सरकार के लिए 50 लाख रुपये का तदर्थ (एड-हाक) ऋण मंजूर किया गया है।

(ग) जी, हां। भारत सरकार के पास जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार, 26 आदमी और 868 मवेशी मरे हैं। अनुमान है कि लगभग 6.16 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को हानि पहुँची है।

चौथी पंचवर्षीय योजना

33. **श्री हेम राज :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिए राज्यवार तथा संघ-राज्य-क्षेत्रवार कितनी कितनी राशि निर्धारित की गई थी और अब तक कितनी राशि व्यय की गई है।

योजना, पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : प्रकाशित दस्तावेज "सालाना योजना—मार्च, 1966" के पृष्ठ संख्या 11 से 20 की ओर ध्यान दिलाया जाता है। इसकी एक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी है। 1966-67 सालाना योजना खर्चे के संशोधित अनुमानों के बारे में राज्य सरकारों तथा संघीय शासित क्षेत्रों से अभी कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

34. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में परिवार नियोजन कार्यक्रम कितना सफल रहा है;

(ख) तीसरी योजना की अवधि में इस कार्यक्रम पर कितना धन खर्च किया गया; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता पर्याप्त सन्तोषजनक रही है। इस योजना

अवधि में इस कार्यक्रम की क्रियान्विति की स्थूल उपलब्धियों का एक विवरण नीचे दिया जाता है।

विवरण

तीसरी योजना अवधि में परिवार नियोजन कार्यक्रम संबंधी उपलब्धियां इस प्रकार हैं:—

	मद	उपलब्धियां
1.	राज्य परिवार नियोजन कार्यालयों की स्थापना	17
2.	जिला परिवार नियोजन कार्यालयों की स्थापना	199
3.	नगर परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों की स्थापना	1370
4.	ग्राम परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों की स्थापना (प्रमुख)	3890
5.	ग्राम परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों की स्थापना (उपकेन्द्र)	4979
6.	प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	28
7.	गर्भाशयी गर्भरोधकों (लूप) का प्रयोग (केवल 1965-66 में जब यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था)	809,130
8.	वन्ध्यीकरण	12,48,734

(ख) 24.86 करोड़ रुपये।

(ग) योजनाओं की प्रगति पर निर्भर करते हुए 229.31 करोड़ रुपये तक उपलब्ध हो सकते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मिजो विद्रोहियों का जेल से भाग जाना

श्री स० मो बनर्जी (कानपुर) मैं गृह कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"लगभग 20 मिजो विद्रोहियों के जेल से भाग निकलने, मिजो नेशनल फ्रंट के नेता श्री लाल डेंगा के भाग जाने और एंजल के निकट एक गश्ती दस्ते के साथ हुई मुठभेड़ में एक मिजो विद्रोही की मृत्यु"

हमें प्रश्न पूछने की अनुमति भी दी जाये।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : श्रीमन्, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सार्वजनिक महत्व का जो मामला उठाया गया है उसका सम्बन्ध मिजो पहाड़ियां जिले से सम्बन्धित तीन विशिष्ट विषयों से है। मैं उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग लूंगा।

मिज़ो विद्रोहियों के मिज़ो पहाड़ियाँ जिले की एक जेल से निकल भागने के बारे में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 6/7 मार्च 1967 की रात को 22 कैदी आपस में बाँधे हुए कपड़ों की सहायता से दीवाल फाँद कर एजल की जेल से निकल भागे। सुरक्षा सेनाओं की कार्यवाहियों के कारण भा ी संख्या में मिज़ो विद्रोही पकड़े जा रहे थे और उस समय जेल में बहुत अधिक कैदी थे। राज्य सरकार ने विस्तृत जाँच के आदेश दे दिये हैं और सुरक्षा के प्रबन्ध मजबूत किये गए हैं। कैदियों को मिज़ो पहाड़ियाँ जिले से बाहर की जेलों में स्थानांतरित करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं।

जहाँ तक मिज़ो नेशनल फ्रंट के नेता लाल डेंगा के भाग निकलने का प्रश्न है, हमें सूचना मिली है कि वह दिसम्बर 1966 के अंतिम सप्ताह में पाकिस्तान गया था। तब से हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली जिससे उसके भारत लौटने का पता चलता हो। समाचार-पत्रों में छपी सूचना के अनुसार लालडेंगा संयुक्तांग्ल राज्य में पहुंच गया है। हम इन सूचनाओं की जाँच कर रहे हैं।

अंत में एजल के निकट एक गश्ती दल के साथ 11 मार्च 1967 की मुठभेड़ में एक मिजो विद्रोही के मारे जाने के बारे में तथ्य इस प्रकार है कि 11 मार्च, 1967 को एजल के दक्षिण पश्चिम के एक क्षेत्र में हमारे गश्ती दल पर लगभग 10 विद्रोहियों ने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की। हमारे गश्ती दल ने भी जवाब में गोली चलाई। गोलीबारी लगभग 20 मिनट तक चलती रही और उसके बाद विद्रोही पीछे हट गये। हमारे पक्ष में कोई हताहत नहीं हुआ। एक विद्रोही मारा गया और एक दुनाली ठस्सेदार बन्दूक तथा "मिजोराम" की एक मुहर पकड़ी गई।

श्री स० मो० बनर्जी : वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग तथा सैनिक गुप्तचर विभाग तो हैं परन्तु उनमें कोई समझ नहीं है। पहले भी श्री मीजो इस तरीके से पाकिस्तान तथा बाद में इंगलैंड चले गये थे। उस समय श्री हेम बरुआ ने कई प्रश्न उठाये थे। सभी सुरक्षा उपायों के बावजूद लोग जेल से भाग निकले हैं। श्री लालडेंगा पाकिस्तान जा चुके हैं। अब वह भी वहाँ से इंगलैंड चले गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इन विद्रोहियों को इंगलैंड से वापस लाने तथा सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐजल जेल में केवल 36-40 व्यक्ति ही रखने की क्षमता है। जेल में अधिक भीड़ होने के कारण उस दिन कुछ लोग निकल भागने में सफल हो गये। इस बात से यह भी सिद्ध होता है कि बड़ी संख्या में विद्रोहियों को पकड़ा जा रहा है। घटना के दिन लगभग 200 विद्रोहियों को पकड़ा गया था।

श्री स० मो० बनर्जी : पाकिस्तान उनकी सहायता कर रहा है। इस मामले को पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं उठाया जाता।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसमें कोई सन्देह नहीं कि पाकिस्तान उनकी सहायता कर रहा है। कई बार इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया गया है परन्तु पाकिस्तान इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वह विद्रोहियों की सहायता करता है।

श्री लालडेंगा भारत से पाकिस्तान गया था और दिसम्बर, 1966 में वह पाकिस्तान में था यदि अब वह इंगलैंड चले गये हैं तो यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान से ही इंगलैंड में गये हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : उनको पाकिस्तान सरकार ने अवश्य ही पारिपत्र दिया होगा और यह एक अमैत्रीपूर्ण कार्य है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस बात से सहमत हूँ । निश्चय ही यह एक अमैत्रीपूर्ण कार्य है ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : सरकार ने मिजोलैंड तथा नागालैंड की समस्याओं से निपटने में अयोग्यता तथा अक्षमता दिखाई है । विद्रोह हुए 16 महीने से अधिक हो चुके हैं । प्रतिदिन पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण होते हैं और समयानुसार वहाँ पर चुनाव भी नहीं कराये जा सके । लालडेंगा को यू० के० जिसको राष्ट्रमण्डल का मुख्य समझा जाता है, में शरण मिल गई है । क्या यह सच नहीं है कि तीन विदेशी शक्तियाँ अर्थात् चीन पाकिस्तान तथा इंगलैण्ड मिजों की सहायता कर रही है तथा इस विद्रोह के कब तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मिजोलैण्ड तथा नागालैण्ड में हमें अपने ही लोगों से निपटना है । हमें इस मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है ताकि इन लोगों के साथ निपटते समय हम उन लोगों की सहानुभूति न खो दें । यहाँ तक विदेशी शक्तियों का सम्बन्ध है उनके कारण ही कभी कभी यह मामले अधिक जटिल बन जाते हैं । इसलिये हमें इन मामलों के साथ बहुत ही हमदर्दी तथा सहनशीलता से निपटना है ।

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : May I know the action taken against the countries who are granting sanctuary to these rebels and also who are involved in unfriendly acts ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हम निश्चय है उनसे विरोध प्रगट करते हैं । परन्तु इन मामलों को लेकर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

श्री हेम बरुआ : (मंगलदाई) ताशकंद घोषणा के विपरीत पाकिस्तान मिजो तथा नागाओं की हथियारों से तथा छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देकर उनकी सहायता कर रहा है । इन सब बातों को देखते हुए क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया है ?

क्या सरकार ने इंगलैण्ड के साथ सम्पर्क बनाया है कि श्री लालडेंगा को वहाँ से निकाल दिया जाय और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाये जैसा कि एक विद्रोही के साथ किया जाता है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : लन्दन में हमारा उच्चायुक्त वहाँ के अधिकारियों से सम्पर्क बनाये हुए है तथा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं । सर्वप्रथम हमें कुछ तथ्यों की पुष्टि करनी है । उसी के आधार पर ही आगे कार्यवाही की जायेगी ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही (भुबनेश्वर) : मिजो तथा नागा लोगों की हमदर्दी प्राप्त करने के लिये सैनिक उपायों के अतिरिक्त क्या आर्थिक तथा राजनैतिक उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : पिछले कुछ वर्षों से कई विकास कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया है तथा उनको कार्यान्वित किया जा रहा है ।

श्री बलराज मधोक : (दिल्ली-दक्षिण) क्या माननीय मन्त्री नहीं जानते कि किसी भी देश की सीमाओं पर विद्रोहियों को पनपने की अनुमति नहीं दी जा सकती और कि उनको कठोरता से दबाया जाना चाहिये अन्यथा यह समूचे देश में फैल सकता है ? क्या यह सच नहीं है कि नागा विद्रोहियों के साथ प्रभावशाली ढङ्ग से निपटने में सरकार के असफल रहने के कारण ही मिजो लोगों को प्रोत्साहन मिला है और यदि अब भी उनके साथ प्रभावशाली ढङ्ग से न निपटा गया तो यह अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकता है ? क्या माननीय मन्त्री इस सभा में यह घोषणा करने को तैयार हैं कि जब तक पाकिस्तान इन विद्रोहियों की सहायता करता रहेगा उसके साथ किसी अन्य मामले के बारे में बातचीत नहीं की जायेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : नागा विद्रोहियों के बारे में हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसे इस सभा ने मंजूर किया था । मिजो समस्या का इसके साथ कोई सम्बन्ध है । पाकिस्तान के साथ इस मामले को न उठाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री रा० बरूआ : (जोरहाट) लालडेंगा काण्ड के राजनैतिक प्रभाव को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार आसाम के पुनर्गठन के प्रश्न पर पुनः विचार कर रही है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार में आसाम के पुनर्गठन के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखिमपुर) : इस तथ्य को देखते हुए कि पाकिस्तान मिजो विद्रोहियों की सब प्रकार से सहायता कर रहा है क्या सरकार पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में यह बतायेगी कि उसकी यह कार्यवाही न केवल ताशकंद घोषणा का उल्लंघन है बल्कि शत्रुतापूर्ण भी है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमने इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया है परन्तु उसने इस बात से इन्कार किया है कि इस मामले में उसका कुछ हाथ है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : माननीय मन्त्री ने कहा है कि जेल बहुत छोटी थी और कि इस कारण वे भाग गये हैं । क्या ऐसे उपाय किये गये हैं कि ऐसी घटना पुनः न हो ? विद्रोहियों को जेल से भागने में सहायता देने के लिये कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सुरक्षा के लिये गाँवों के पुनर्गठन का एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया है । इस कार्यवाही को और अधिक सुदृढ़ किया जाना है । इसी बीच कई लोगों ने हथियार डाल दिये हैं और कई लोग पकड़े भी गये हैं । बहुत सा गोलाबारूद भी पकड़ा गया है । यदि यह सच है कि लालडेंगा इंगलैण्ड भाग गया है तो सम्भवतः वह नागाओं की तरह इस मामले को भी अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयत्न कर रहे हैं और कि वह मिजो जिले में कुछ कमजोर पड़ गये हैं ।

श्री स्वैल : (आसाम स्वायत्तशासी जिले) क्या मैं जान सकता हूँ कि गाँवों के पुनर्गठन के फलस्वरूप मिजो लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ है और कि उनको बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी है और कि बर्मा के मार्ग से जर्मनी तथा तुर्की से वहाँ हथियार आ रहे हैं और कि बर्मा तथा भारत

में जो अन्तिम समझौता हुआ है वह मिजो स्थिति से उत्पन्न होने वाले कुप्रभाव को निष्प्रभाव करने के लिये है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार में बर्मा के मार्ग से कोई हथियार नहीं आ रहे हैं। बर्मा का रवैया बहुत सहायतापूर्ण रहा है। जहाँ तक लोगों में असंतोष का सम्बन्ध है वहाँ लोगों में ऐसी कुछ भावनाएँ थीं परन्तु यह एक ऐसी कार्यवाही थी जिसको करना आवश्यक था। कुछ कठिनाई निश्चय ही होती है परन्तु उनको पुनः बसाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि लोगों को कोई कठिनाई न हो।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. POINT OF PRIVILEGE

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Ujjain) : In today's list of buisiness no mention has been made regarding hon. Minister's statement about next week's business in this House.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : Statement has already been given day before yesterday.

Dr. Shri Ram Manohar Lohia (Kannauj) : I want to raise a point of privilege against Shri Chavan.

अध्यक्ष महोदय : आपने इसके लिये कोई सूचना नहीं दी है।

Dr. Ram Manohar Lohia : I have given notice for that.

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे लिखा था परन्तु मैंने आपको विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी थी। आप मुझे मेरे चैम्बर में मिलकर इस पर चर्चा कर सकते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : I rise on a point of Order. Three things are needed to make a point of privilege i. e. the speaking a lie, concealing of fact or to do all this deliberately. I would like to requst you that Shri Chavan's statement is covered under these three things.

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे चैम्बर में मिल लिजिये और यदि मुझे विश्वास हो गया कि इसमें विशेषाधिकार की कोई बात है तो मैं मन्त्री महोदय से जानकारी प्राप्त करूँगा और आपको भी यह प्रश्न उठाने की अनुमति दूँगा।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मन्त्री श्री दिनेश सिंह : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ :—

(एक) सूती कपड़ा (नियंत्रण) आठवाँ संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3986 में प्रकाशित हुआ था। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 89/67]

(दो) सूती कपड़ा (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1967 जो दिनांक 4 जनवरी 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 77 में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी 90/67]

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, एरणाकुलम के वर्ष 1965-66 का वार्षिक प्रतिवेन तथा सरकार द्वारा समीक्षा

श्रम, रोजगार तथा पुर्नवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) मैं श्री अशोक मेहता की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :—

1. (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत कोच्चिन रिफाईनरीज लिमिटेड, एरणाकुलम् के वर्ष 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 39/67]

आपात जोखिम बीमा (चौथा संशोधन) सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत योजनाएं तथा अधिसूचनाएं केन्द्री। उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम तथा आयकर अधिनियम

वित्तमंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृ० चं० पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :—

(1) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उप-धारा [6] के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (चौथा संशोधन) योजना, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3907 में प्रकाशित हुई थी।

(2) आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (कारखाने) बीमा (चौथा संशोधन) योजना, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3908 में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 88/67]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 108वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1873 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7 /67]

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 109वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1874 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 72/67]

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 107वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 24 दिसम्बर 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1963 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 81/67]

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 110वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एन० आर० 1964 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 80/67]

(पाँच) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) [11वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1965 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 79/67]

(छः) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 114वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2000 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 75/67]

(सात) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 113वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2001 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 74/67]

(आठ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 114वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2002 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 82/67]

(नौ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) पहला संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 21 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 79 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 45/67]

(दस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 21 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 80 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 46/67]

(ग्यारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) तीसरा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 28 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 107 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 50/67]

(बारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) चौथा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 28 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 108 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 51/67]

(तेरह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) पांचवां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 28 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 109 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 52/67]

(चौदह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) छठा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 28 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 110 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 53/67]

(पन्द्रह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) सातवां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 11 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 170 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 57/67]

(सोलह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) आठवाँ संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 11 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 171 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 58/67]

(सत्रह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) नवाँ संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 25 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 234 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 65/67]

(अट्ठारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) दसवाँ संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 4 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 293 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 68/67]

(उन्नीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 11वाँ संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 4 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 294 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 66/67]

(बीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 12वाँ संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 4 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 295 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 67/67]

(इक्कीस) सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 13 वाँ संशोधन नियम 1967 जो दिनांक 11 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 306 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 41/67]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 156 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1842 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी 70,67]

(दो) जी० एस० आर० 1872 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 77,67]

(तीन) जी० एस० आर० 1897 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 76/67]

(चार) जी० एस० आर० 1966 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 78,67]

(पाँच) जी० एस० आर० 1985 जो दिनांक 23 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी 79/67]

(छ) जी० एस० आर० 2003 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7_/67]

(सात) जी० एस० आर० 2039 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 85,67]

(आठ) जी० एस० आर० 2040 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 196. के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 83,67]

(नौ) जी० एस० आर० 2041 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 84,67]

(दस) एस० ओ० 4047 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 43/67]

(ग्यारह) जी० एस० आर० 1 जो दिनांक 1 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 86,67]

(बारह) जी० एस० आर० 81 जो दिनांक 21 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 47,67]

(तेरह) जी० एस० आर० 82 जो दिनांक 21 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 48/67]

(चौदह) जी० एस० आर० 98 जो दिनांक 16 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 44/67]

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 154 जो दिनांक 3 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 54/67]

(सोलह) जी० एस० आर० 172 जो दिनांक 11 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 59/67]

(सत्रह) जी० एस० आर० 190 जो दिनांक 11 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 60/67]

(अट्ठारह) जी० एस० आर० 193 जो दिनांक 13 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 61/67]

(उन्नीस) जी० एस० आर० 223 जो दिनांक 18 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 63/67]

(बीस) जी० एस० आर० 235 जो दिनांक 25 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 64/67]

(इक्कीस) जी० एस० आर० 305 जो दिनांक 11 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 40/67]

(बाईस) एस० ओ० 373 जो दिनांक 4 फरवरी 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 55/67]

(5) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 21 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 75 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 49/67]

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 4 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 288 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 69/67]

(6) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 280 डब्ल्यू की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) वार्षिकी जमा योजना, 1966 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2033 में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 42/67]

(दो) अधिसूचना संख्या एस० ओ० 514 जो दिनांक 8 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वार्षिकी जमा योजना, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 56/67]

(7) आय कर अधिनियम, 1967 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (संशोधन) नियम,

1967 की एक प्रति जो दिनांक 15 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 598 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 62/67]

श्री आनन्द नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) मद 7 से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने आपात की स्थिति समाप्त करने का निर्णय कर लिया है। आपात सम्बन्धी सभी अधिनियमों को भी समाप्त किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यह अपनी-अपनी राय की बात है।

स्थानों का नियत किया जाना
ALLOCATION OF SEATS

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : Sir, I have been alloted a seat in the fifth row where as in the previous Lok Sabha I had in the second. I request you to aliot me a seat either in the first or in the second row.

अध्यक्ष तथा विशेषाधिकार समिति के सदस्यों के विरुद्ध लेखा याचिका के बारे में

RE. : WRIT PETITION AGAINST SPEAEKER AND MEMBERS OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

अध्यक्ष महोदय: पिछली लोक सभा के दौरान 12 अगस्त, 1966 को सर्वश्री त्रिदिब कुमार चौधरी तथा मधु लिमये ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त यह आरोप भी लगाया गया था कि जब वे 9 अगस्त, 1966 को पटना हवाई अड्डे पर पहुँचे तो बिहार पुलिस ने उनसे वहां से चले जाने के एक आदेश की तामील कराई जिसमें उन्हें डेढ़ घन्टे के अन्दर बिहार राज्य से निकल जाने को कहा गया परन्तु वास्तव में उन पर कोई दाण्डिक अपराध का आरोप लगाये बिना उन्हें डेढ़ घंटे तक पटना हवाई अड्डे के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के कमरे में बन्दी की हालत में रखा गया। उस डेढ़ घंटे के दौरान आदेश के अनुसार वह बिहार में किसी रुकावट के बिना चल फिर सकते थे परन्तु उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया।

18 अगस्त, 1966 को सभा ने यह मामला विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति को सौंपा।

समिति ने अपने निष्कर्ष निकालने से पूर्व अन्य लोगों के साथ-साथ पटना के पुलिस के उप-अधीक्षक, श्री बी० एन० पी० कुमार का साक्ष्य लेने का निर्णय किया। उन्होंने आदेश की तामील कराई थी। वह 3 दिसम्बर, 1966 को समिति के समक्ष उपस्थित हुए और साक्ष्य दिया। समिति ने उसी दिन दो और साक्षियों अर्थात् पटना के हवाई अड्डे के अफसर तथा इण्डियन एयरलाइन्ज कारपोरेशन के यातायात अफसर का साक्ष्य लिया।

बाद में लोक-सभा के अनिश्चित काल के लिये स्थगित होने के पश्चात् 6 दिसम्बर, 1966 को उच्चतम न्यायालय से नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया है कि श्री बी० एन० पी० कुमार ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत एक लेख याचिका दायर की है जिसमें अध्यक्ष तथा विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति के सदस्यों को प्रतिवादी बनाया गया है। वह 2 दिसम्बर, 1966 को

उच्चतम न्यायालय के सामने प्रारम्भिक सुनवाई के लिए आई। उसमें प्रतिवादियों से कहा गया कि वे कारण बतायें कि उक्त याचिका में उनके विरुद्ध सशर्त आदेश क्यों न जारी किया जाये।

अपनी याचिका में श्री बी० एन० पी० कुमार ने उच्चतम न्यायालय में प्रार्थना की थी कि:

(क) यह घोषणा की जाये कि 25-11-66 के नोटिस का आधार आरम्भ से ही शून्य-परस्तांत है क्योंकि उसका आधार एक ऐसा विशेषाधिकार था जिसका कोई अस्तित्व नहीं है।

(ख) यह घोषणा की जाये कि विशेषाधिकार के उल्लंघन के इस आरोप की कार्यवाही के लिए कोई क्षेत्राधिकार नहीं था क्योंकि इङ्गलैंड में तथा भारत के संविधान में ऐसा विशेषाधिकार नहीं है।

(ग) 25-11-66 का नोटिस समाप्त कर दिया जाये और इस लेख याचिका का निर्णय होने तक विशेषाधिकार समिति की अग्रेतर कार्यवाही बन्द की जाये।

तत्पश्चात्, 11 जनवरी, 1967 को उच्च न्यायालय को उत्तर भेजा गया था कि अध्यक्ष महोदय मार्च, 1967 में लोक-सभा के अगले अधिवेशन में विचार के लिए नोटिस पेश करेंगे।

तब 16 जनवरी, 1967 को यह याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक सुनवाई के लिए आई। न्यायालय ने उस पर सुनवाई रोकते हुए आदेश दिया कि याचिका के निपटाये जाने तक विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही रोक दी जाये। इसकी सुनवाई की तिथि एक मास पश्चात् रखी गई।

उसके बाद याचिका पर सुनवाई 23 फरवरी, 1967 को हुई। न्यायालय ने प्रतिवादियों के विरुद्ध सशर्त आदेश जारी किया कि वे कारण बतायें कि न्यायालय याचिका में की गई प्रार्थना मन्जूर क्यों न करें। इस पर अन्तिम निर्णय के लिए 10 अप्रैल, 1967 की तिथि रखी गई और याचिका के विरुद्ध प्रतिवादियों द्वारा शपथ पत्र दाखल करने के लिए 3 अप्रैल, 1967 की तिथि रखी गई।

तीसरी लोक सभा के विघटन के बाद विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति की इस मामले में कार्यवाही व्ययगत हो गई। इसलिए, सभा को इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महान्यायवादी को, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने नोटिस भेजा है, इस सभा द्वारा हिदायत दी जाये कि वह न्यायालय को तदनुसार सूचित करें।

आशा है सभा मुझसे सहमत होगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : This matter should be placed before the new Committee of Privileges which will be formed now. We should not end the matter on the technical ground of dissolution of Third Lok Sabha. These issues have to be decided at one stage or the other. We should not violate the powers of the Supreme Court but the matter of privileges of Lok Sabha should also be decided.

It has been provided in Artiele 115 of the Constitution that we can determine our privileges. It is pity that 17 years after the promulgation of constitution we have to refer to the proceedings of House of Commons and May's Parliamentary Practice. The Committee of Privileges should be constituted by 30th April and first of all we should determine the privileges of the House.

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट): मैं आपके इस सुझाव का समर्थन करता हूँ कि हम महान्यायवादी को उसी प्रकार हिदायतें देने की सिफारिश करें जैसा कि आपने सुझाव दिया है

तथा इस विशेष मामले को समाप्त किया जाये । परन्तु मेरे विचार में यह अच्छा होगा यदि नई विशेषाधिकार समिति के गठन पर उसे इन मामलों की जांच करने के लिए कहा जाये ताकि जो कुछ श्री मधु लिमये ने कहा है, उस पर विचार हो सके और हम अपने निष्कर्ष निकाल सकें । इससे समस्या संतोषजनक रूप में हल हो जायेगी ।

श्री नाथ पाई (राजापुर): आप इस विषय में कोई भी प्रक्रिया अपनायें, हम इस विषय में आपका मार्ग दर्शन मानने के लिए तैयार हैं । मूल विषय संसद सदस्यों की उन्मुक्ति से सम्बन्धित है । बार-बार हमने कहा है कि सरकार इस मामले में पहल करे । श्री त्रिदिब कुमार चौधरी तथा श्री मधु लिमये की गिरफ्तारी से सदस्यों की उन्मुक्ति सम्बन्धी मूल प्रश्न उठता है ।

विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति इस प्रश्न को पर्याप्त रूप से हल नहीं कर सकेगी । इस लिए मेरा सुझाव है कि संविधान के अनुच्छेद 105 में संशोधन द्वारा संसद सदस्यों को गिरफ्तारी से तब तक उन्मुक्ति हो जब तक कि आपकी अध्यक्षता में संसद की एक स्थायी समिति इसकी स्वीकृति न दे अथवा सदस्य को हस्तक्षेपीय अपराध करते हुए रंगे हाथों न पकड़ा गया हो ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व): मैं इस विचार का समर्थन करता हूँ कि केवल कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण यह मामला समाप्त नहीं होना चाहिये । परन्तु मैं यह अनुभव करता हूँ कि हाल ही में कुछ घटनायें हुई हैं । इस सभा के अध्यक्ष तथा समिति के सभापति पर कानूनी नोटिसों की तामील कराई जाने लगी है । यह सभी विचित्र परिस्थितियां इस कारण पैदा हो रही हैं कि इस समय हमारे देश में न्यायपालिका तथा विधानपालिका की स्थिति स्पष्ट नहीं है । इसका सम्बन्ध संविधान में संशोधनों सम्बन्धी उच्चतम न्यायालयों के हाल के निर्णयों से भी है ।

मैं चाहता हूँ कि आप अपनी इच्छा के अनुसार चुने कुछ संसद सदस्यों तथा ऐसे लोगों की बैठक बुलावें जो इस सम्बन्ध में पर्याप्त कानूनी राय दे सकें, ताकि उच्चतम न्यायालय तथा अपने बीच किसी विवाद के बिना हम कुछ मामले निपटा सकें ।

मैं यह विचार ठीक नहीं समझता कि महान्यायवादी को आप हिदायतें दें और उच्चतम न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय से प्राप्त किसी नोटिस के बारे में कुछ निवेदन करें । मैं चाहता हूँ कि ऐसा करने से पहले संसद की स्थिति के बारे में पूर्णतया सन्तुष्ट हो जाना चाहिये ।

श्री आनन्द नम्बियार (तिरुचिरापल्लि): जब सभा का अधिवेशन चल रहा होता है तो एक बार नहीं, दो-दो बार सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह भिन्न प्रश्न है । यद्यपि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है तथापि इस पर चर्चा पृथक रूप से होनी चाहिये ।

श्री आनन्द नम्बियार: सदस्यों के सामूहिक अधिकार तथा विशेषाधिकार आपके अधिकार हैं । यदि हमारे अधिकार न हों तो आपके भी कोई अधिकार नहीं हो सकते । जब सभा का अधिवेशन हो रहा हो तो एकतरफा आदेश जारी करने के मामले में उच्चतम न्यायालय पर कोई प्रतिबन्ध होनी चाहिये ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : Article 139 of the constitution provides that Parliament may, be enacting a law, authorise the Supreme Court to issue directions, orders and writs in the nature of Habeaus Corpus. Again in Article 140 Parliament is empowered to enact laws to give Supreme Court such supplemental power as are proper and necessary

and are not repugnant to the Constitution. The Parliament has not so far enacted any law in furtherance of Articles 139 and 140 to enhance the powers of Supreme Court. Those Articles are not there in the constitution without any purpose. The framers of the Constitution wanted to give more powers to the Supreme Court.

The executive has never cared to ponder over this subject. They are too much engrossed in other small disputes. I, therefore, request you to draw the attention of the country and Lok Sabha to these two Articles and ask the executive to expeditiously introduce the legislation to enhance the Powers of Supreme Court. The decisions of the Supreme Court are sometimes not correct, but I still want that the powers of the Court should be enlarged.

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले में यह सर्वसम्मत विचार दिखाई देता है कि इस विषय पर अग्रेतर कार्यवाही नहीं करनी चाहिये।

इस सभा के विशेषाधिकारों की व्याख्या तथा गिरफ्तारी से उन्मुक्ति के प्रश्न के बारे में संविधान का अनुच्छेद 105 अनिश्चित है, हमें सदा ही संविधान के लागू होते समय इंगलैण्ड में विशेषाधिकारों के स्वरूप के बारे में उल्लेख करना पड़ता है। यदि सभा की यह राय है कि इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधन द्वारा अथवा अन्यथा कोई कानून बनाया जाये तो यह कार्यवाही स्वागत योग्य है और इस दिशा में कार्यवाही करते समय मुझे प्रसन्नता होगी। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां तथा क्षेत्राधिकार बढ़ाने अथवा कम करने का प्रश्न इस समय उत्पन्न नहीं होता।

लोक सभा में मध्यान्ह भोजन के लिये अवकाश

LUNCH BREAK IN LOK SABHA

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि 21 मार्च, 1967 को हुई बैठक में, जिसमें विरोधी दलों के नेता और संसद कार्य राज्य मंत्री उपस्थित थे, सर्वसम्मति से यह इच्छा प्रकट की गई कि सभा में प्रत्येक दिन एक बजे से दो बजे तक मध्याह्न अवकाश हो और इसके फलस्वरूप सभा की बैठकों का पुनरीक्षित समय 11 बजे म० प० से 1 बजे म० प० तक और 2 बजे म० प० से 6 बजे म० प० तक हो। यदि किसी दिन आधे घन्टे की चर्चा होनी हो तो वह सायं 5-30 बजे होगी, यदि सभा इस पर सहमत हो तो यह व्यवस्था सोमवार, 27 मार्च, 1967 से की जाय।

बहुत से माननीय सदस्य: यह ठीक है।

श्री नाथ पाई (राजापुर): मैं मध्याह्न अवकाश के विषय में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं इस सुझाव से पूरी तरह से तो सहमत नहीं था, परन्तु क्योंकि सभा ने इसे स्वीकार कर लिया है, मैं भी इससे सहमत हूँ। यदि मध्याह्न अवकाश के समय हमें खाने के लिए ऐसी ही वस्तुएँ मिलनी हैं जैसी यहाँ के रेस्तरां में 'भोजन' के नाम पर मिलती हैं तो इसका कोई लाभ नहीं। महोदय, यदि इस प्रकार का खाना निरन्तर कुछ दिन खाया जाय तो श्री मोरारजी देसाई जैसे सशक्त व्यक्ति का भी पाचन खराब हो सकता है। जब तक पौष्टिक भोजन दिए जाने का कोई प्रबन्ध नहीं हो जाता, इसका कोई लाभ नहीं।

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर पृथक रूप से विचार करेंगे।

Shri Vibhuti Mishra (Motihari) : This proposal regarding Lunch Hour was considered last year also. Only those Hon'ble members could go for lunch who have their own cars. We come here after taking our meals at 11.00 A. M. and we can do without lunch upto 5-00 P.M..

अध्यक्ष महोदय: मैंने डा० चन्द्रशेखर को बोलने के लिए कहा है। अब आप बैठ जायं।

Shri Vibhuti Mishra : Let me complete it. We come here after taking lunch and we can sit upto 5-00 P. M. Last time this proposal was rejected. I request you not to accept it even this time.

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान सम्बन्धी स्नातकोत्तर संस्था, चन्डीगढ़।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान सम्बन्धी स्नातकोत्तर संस्था, चन्डीगढ़, अधिनियम, 1966, की धारा 5 (जी) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, पाँच वर्ष की अवधि के लिये, चिकित्सा, शिक्षा तथा अनुसंधान सम्बन्धी स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़ के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:—

"कि चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान सम्बन्धी स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966, की धारा 5 (जी) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, पांच वर्ष की अवधि के लिए, चिकित्सा, शिक्षा तथा अनुसन्धान सम्बन्धी स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़ के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

The Motion was adopted

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सामान्य आय व्ययक-सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION

श्री० प्र० के० देव (कालाहाँडी): बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ करने से पूर्व मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस चर्चा का समय कुछ बढ़ा दिया जाय क्योंकि आम चुनावों के बाद यह पहला बजट पेश किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: समय की बात सब नेताओं ने मिल कर तय की थी और यदि प्रत्येक सदस्य अधिक समय के लिए प्रार्थना करे तो काम करना कठिन हो जायगा।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि): कार्य-सूची के अनुसार हमें तीन विषयों पर सामूहिक रूप से चर्चा करनी है जो इस प्रकार है :—

(1) 1967-68 के बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा;

(2) 1967-68 के बजट (सामान्य) के लिए लेखानुदान की मांगों पर मतदान,

(3) 1966-67 के बजट (सामान्य) की अनुपूरक मांगों के लिए अनुदान पर मतदान।

हमें कटौती प्रस्ताव भी पेश करने हैं।

अध्यक्ष महोदय: वह सब बाद में होगा। अब हम केवल सामान्य चर्चा करेंगे।

श्री प्र० के० देव: यह ठीक है कि यह अन्तरिम बजट है और केवल चार महीनों के लिए लेखानुदान का ही प्रश्न है, परन्तु इससे देश की गम्भीर स्थिति का पता चलता है। वित्त मंत्री ने उन्हीं नीतियों को प्रश्रय दिया है जिनसे पिछले 20 वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति इतनी शोचनीय हो गई है। पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार 350 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। जो पिछले वर्षों से कहीं अधिक है। मुझे खेद है कि इस बजट में देश की आर्थिक स्थिति सुधारने और बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। निर्यात की कमी को पूरा करने के लिए भी कोई उपाय नहीं सुझाए गए। रुपये के अवमूल्यन से कोई लाभ होता नजर नहीं आता। निर्यात में बड़ी भारी कमी हो गई है। विदेशी मुद्रा का संकट अभी वैसा ही चल रहा है। अवमूल्यन के फलस्वरूप देश में वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं को अवमूल्यन से पर्याप्त धक्का पहुँचा है क्योंकि विदेशी मुद्रा में उनको अधिक रुपया देना पड़ा है। हमें निर्यात बढ़ाना चाहिए था ताकि विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त बोझ कम हो जाता।

मुद्रा स्फीति की इन परिस्थितियों में अपने देश में भी मूल्यों में वृद्धि हुई है। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के समय वस्तुओं के जो मूल्य थे वे अब 7 गुणा हो गए हैं जब कि इंग्लैण्ड में 4 गुणा और अमरीका में $2\frac{1}{2}$ गुणा मूल्यों में वृद्धि हुई है। चाय उद्योग से पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है परन्तु उसके उत्पादन में केवल 24 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जब कि संसार में चाय के उत्पादन में 41% वृद्धि हुई है। पटसन के विषय में भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। भारत के निर्यात का अनुपात बहुत कम हो गया है।

[डा० डी० एस० राजू पीठासीन हुए]
[DR. D.S. RAJU *in the Chair*]

हमारे देश पर 4,000 करोड़ का विदेशी ऋण हो गया है। घाटे का बजट तैयार करना, अधिक कर लगाना, बड़ी बड़ी योजनाओं का निर्माण आदि इतने बड़े ऋण के कारण हैं। बेकार और अनुत्पादक खर्च को रोकने के बारे में बजट में कोई संकेत नहीं। हम मितव्ययता का नाम लेते हैं परन्तु उसे कार्यरूप कहीं नहीं देते। मन्त्रिमण्डल में एक मंत्रिमण्डल के स्तर के मन्त्री को हमने बिना विभाग के मन्त्री रखा है। संसद-कार्य विभाग में चार मन्त्री रखे हुए है। प्रधान मन्त्री ने कहा था कि राज्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिये हमें स्वयं वित्तीय खर्च कम करने का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये। केन्द्र ने प्रशासनिक खर्च में 91 करोड़ रुपये में कमी दिखाई है परन्तु दूसरी ओर बजट में 292 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है।

मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि वित्त मन्त्री राज्यों द्वारा जमा रुपये से अधिक धन निकलवाने के लिये चिंतित हैं बैंकों से अधिक रुपया निकलवाने का कारण राज्यों में कांग्रेस का लगातार शासन है। मैंने आज प्रातः "स्टेटसमैन" पत्र में एक सूचना पढ़ी थी जिसमें लिखा था

कि उड़ीसा के मुख्य मन्त्री को रिजर्व बैंक ने नोटिस दिया कि तीन दिन के अन्दर वह 8 करोड़ रुपया अदाकर दें नहीं तो भविष्य में उन्हें कोई अदायगी नहीं की जायगी। मेरा निवेदन यह है कि यह जमा से अधिक लिया गया रुपया माफ कर दिया जाय, नहीं तो तीन दिन में इसकी अदायगी कैसे हो सकती है। रुपये का मूल्य दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है। अत्याधिक नियन्त्रण, अनुज्ञप्तियों तथा परमिट आदि के कारण औद्योगिक, व्यापारिक और खेती की उन्नति में भारी बाधाएँ उपस्थित हुई हैं; वित्तीय नीति दोषपूर्ण है।

संसार में सबसे अधिक कर भारत में हैं। जिसके फलस्वरूप लोग करों की अदायगी से बचने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि करों की वसूली बहुत कम होती है।

खेती में सिंचाई का सब से अधिक महत्व है। देश में लाखों एकड़ ऐसी भूमि है जो सिंचाई की सुविधाओं से वंचित है।

मद्य-निषेध के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ और वह यह कि अवैध रूप से शराब निकालने के कार्य को लघु उद्योग का रूप न दिया जाये क्योंकि इससे राजस्व की हानि होती है। मेरे विचार में तो मद्य निषेध को समाप्त कर देना चाहिये।

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : gloomy picture of economic condition of the country has been presented by the Finance Minister which is a matter of great concern. This budget is a warning to the nation that if we do not come upto the mark we will have to face greater danger. There is 20% increase in the prices of various commodities and if no notice is taken thereof there is bound to be further rise in prices. There is large amount of inflation in the country. The Finance Minister has stated that the present budget seeks a vote on Account for a period of few months and this is not a Supplementary Vote on Account. As Lame Duck Session has been scrapped, the Finance Minister could not get time to suggest remedial measures for the present economic conditions. I do not deny that there have been pitfalls in implementation of the policies of the Govt. but it does not mean that the policies were not correct. The outlay of Third Five Year Plan was Rs. 8630 crores and there was a good amount of increase in the recovery of taxes viz. Rs. 1130 crores. With the recovery of nearly double the amount of taxes, we were expecting to secure more money in the form of savings or loans form. I cannot say where this large amount has gone ? In fact this amount was spent in payment of higher D. A. etc. to the salaried class. It was proposed to increase our national inerome by 5% but it could not go beyond 3·2%. No doubt there were famine conditions in the year 1965-66 and moreover we had to face Pakistani aggression. There has been increase of 7.6% in the national income in the year 1964-65 and if the conditions in 1965-66 were bad, a balance could have been drawn in higher income of 1964-65 and lower national income in 1965-66. It is understood from a news-item that Finance Minister and Planning Minister have agreed not to reduce the size of fourth Five Year Plan. We have already committed blunder by devaluating rupee and this will be a second mistake. The Finance Minister could not deny the fact that exports have been reduced consequent devaluation of rupee. I doubt whether we will be in a position to achieve the targets of Third Five Year Plan. In case we do not reduce the size of Plan it will be another blunder. In order to check inflation and economic disparities this question is required to be thoroughly examined.

I am happy to note that the Finance Minister has made a provision of Rs. 1711 crores in the budget which shows that he has started thinking on right lines and we will recoup the deficit position. A grant of Rs. 405 crores for agriculture is also an appreciable step. It is the first time when we have taken this bold step. We should now pledge that we shall not beg for food from any one and we will make ourselves self-sufficient. According to the figure

given by Planning commission there is deficiency of 8 to 12 percent in food production and in my opinion this much deficiency can easily be made up if sufficient irrigation facilities are provided. The same field can yield two crops if irrigation facilities are sufficient. In case the farmer gets good price for his production, he will not seek help for seeds etc. I congratulate the Finance Minister who has made provisions of Rs. 405 crores for agriculture. The only thing is that this amount should be utilised properly. There are several instances of corruption for installation and allotment of Tube wells in Bihar where there is famine condition. There are certain clever people who indulge in this type of corruption in alliance with Government staff and make huge profits. I therefore request that necessary steps may be taken to prevent this illegal profiteering and I shall also request to the opposition to co-operate with the Government in bringing such culprits to book.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The budget presented by Shri Morarji Desai is simply a statement of receipts and disbursements. We expected something dynamic from him. There is no indication in the budget for improving things. He has not given the over all position of the state of economy of our country. As has been pointed out by Smt. Tarkeshwari Sinha, there is need of drastic steps being taken. Only then some improvement can be brought about.

There should be some check on deficit financing. They have spent about Rs. 409 crores beyond the budget. It cannot be tolerated. This is being done repeatedly for the last many years. The average annual deficit financing since 1962-63 is about Rs. 267 crores rupees. It is good that he has promised to put an end to deficit financing. I welcome this announcement.

The Hon. Minister of Finance has said that we were compelled to import foodgrains etc. We should go to the root of the problem. It it due to wrong agricultural policy that we fell short of foodgrains. We should give priority to such small projects as may yield quick results. Tubewells should be sunk and other types of wells should be dug. The funds allocated for this purpose should be properly utilised.

There is large scale bungling in the matter of food. The Zoal system should be abolished. The Government has failed to stabilise the prices of foodgrains inspite of the fact that large scale imports have resorted to. All these matters should be thoroughly considered and a firm policy formulated. We should not indulge in over-ambitious planning. Our plans should be according to our resources and means.

Our budget should be a surplus budget. It will help in bringing down the high prices.

It is said that utmost economy should be observed. But it is only tall talk. I would like to give an instance as to how Government funds are being spent in lavish manner. There is Food Corporation of India. It is a Government Undertaking. A portion of Dr. Sen's Nursing Home (in Delhi) has been taken on a monthly rent of Rs. 46,000. Then about Rs. 2 Lakhs have been spent on furnishing of this office. It is said that the Managing Director of the Corporation is related to Dr. Sen. This Corporation has spent about Rs. 20 Crores during the last two years. The corporation is doing precious little in the matter of food. An enquiry should be held into its working.

We should have economy in true sense of the term. It should begin right from top in the Council of inisters. There should be a small and compact Ministry. The leaders should set an example for others to follow.

This budget shows a deficit of Rs. 350 crores. I think if a balanced budget is prepared four hundred crores of rupees could be saved. The prices of essential commodities are rising day by day. The inflation touching new high mark. The currency is increasing

The whole-sale price index is going up very rapidly. The Government should think of the difficulties of people and try to bring down the prices. The electorate has given warning to the Congress Party.

It is right that Jan Sangh wants to have power but it is according to constitutional methods. We do not want create any chaos in the country. The Central Government should take steps against concentration of wealth. The present control on industries should be withdrawn. New industries should be encouraged.

Regarding overdrafts of states, I want to say that a conference of State Finance Ministers should be convened to condister this matter. A formula should be laid down and all the states should be asked to follow that. I do not agree with the plea that we accept foreign aid without strings. I want to know why we had to devalue the rupee ? It was under pressure from foreign countries. I hope that hon. Minister of Finance will be able to strengthen rupee and make our economy stable.

I hope Delhi Administration would be allocated adequate funds. The deficit of Delhi Municipal Corporation will be done away with. It's financial position is very deplorable. The biggest problem in Delhi is that of housing. More funds should have been given for this. Delhi should be paid special attention, because it is the capital city of our country. I suggest Sales Tax should be abolished and excise duty at the source should be enhanced.

श्री के० आर० गणेश (अन्दमान और निकोबार द्वीप) : पिछले पन्द्रह वर्षों से अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह से लोक सभा के लिये नाम-निर्देशित प्रतिनिधि ही आते रहे हैं, परन्तु यह प्रथम अवसर है कि वहाँ की जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिये हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। इस प्रदेश का अभी विकास हो रहा है और इस विकास के साथ ही साथ कई अन्य समस्याएँ भी सामने आ रही हैं। जैसे-जैसे वहाँ की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ की प्रशासनिक पद्धति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता भी अनुभव हो रही है। उन द्वीपों में एक ओर तो जन-जातियों के लोग हैं और दूसरी ओर देश के अनेक भागों के बहु-भाषी लोग वहाँ बस गये हैं। यदि इन दोनों में एकता लाने का काम पूरा नहीं हुआ तो उनके पारस्परिक संघर्ष के फलस्वरूप हमारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसका कारण यह है कि वह ऐसा क्षेत्र है जहाँ शत्रु सुगमता से आक्रमण कर सकता है।

देश की कठिन आर्थिक स्थिति के कारण सब ओर से कहा जा रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कटौती की जानी चाहिये। परन्तु मेरे विचार में यदि हमें दरिद्रता, अज्ञानता, भुखमरी, आदि को समाप्त करना है तो हमारा काम बड़ी योजना के बिना नहीं चल सकता। बड़ी योजना की क्रियान्विति में जो कठिनाईयाँ आई हैं वे प्रशासनिक हैं। यह प्रशासनिक पद्धति हमें विरासित में मिली थी, जो हमारे देश का सामाजिक पुनर्निर्माण करने में असमर्थ रही है। इसी प्रशासनिक पद्धति के कारण ही आज भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, आदि दोषों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हम चाहे किसी भी आर्थिक नीति को कार्यान्वित करें, हमें इस प्रशासनिक पद्धति में परिवर्तन करना ही होगा।

आज कहा जा रहा है कि खेती की प्रगति नहीं हो रही। हमें अधिक खाद की आवश्यकता है और अधिक पानी की आवश्यकता है। इन सभी समस्याओं का समाधान हम भूमि सुधारों द्वारा कर सकते हैं। खाद्य समस्या का समाधान अनाज की वसूली, समान वितरण और मितव्ययता

के बिना नहीं हो सकता। खाद्यान्नों में सट्टेबाजी को रोकने के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। इसके साथ ही ऐसी सहकारी संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिये, जिनसे किसानों को उधार मिल सके। खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार अनिवार्य हो गया है।

कहा गया है कि जहाँ-जहाँ विरोधी दलों द्वारा सरकारें बनाई गई हैं वहाँ वस्तुओं के मूल्य कम हो गये हैं परन्तु यह एक अस्थायी स्थिति है, जो सरकार बदलने पर प्रायः हुआ करती है।

शासन सत्ता सम्भालने के लिये विरोधी दल भले ही एक हो जायँ परन्तु आर्थिक समस्याओं के विषय में उनके विचार भिन्न-भिन्न हैं। जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी ने नियंत्रणों, खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार तथा देश में आर्थिक जीवन से सम्बन्धित सभी नियन्त्रणों का विरोध किया है। स्व० जवाहरलाल नेहरू मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में थे, जिसमें सरकारी क्षेत्र की प्रमुखता हो, और जिसमें पूर्ण रूप से भूमि सुधार कानून लागू हों। परन्तु हम किसान को समय पर सहायता देने में असफल रहे हैं। यह मार्ग अपनाने के लिये सहकारी संस्थाओं की स्थापना अनिवार्य है।

यह बात ठीक है कि आज देश की अर्थव्यवस्था संकटमय है, परन्तु संक्रमण काल में ऐसी स्थिति का सामना सभी देशों को करना पड़ा है।

अन्दमान और निकोबार द्वीपों के विकास के लिये सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है। अन्दमान और निकोबार प्रशासन और कृषि मंत्रालय ने इमारती लकड़ी का ठेका एक कम्पनी को दिया है। इमारती लकड़ी के विक्रय से पर्याप्त विदेशी मुद्रा कमाई जाती है। परन्तु इस कम्पनी की स्थिति दिवालियेपन की होने के कारण हजारों टन इमारती लकड़ी वहाँ बेकार पड़ी हुई है, जिससे विदेशी मुद्रा की अत्यधिक हानि हुई है। हमने इसकी सूचना बड़े से बड़े अधिकारियों को भेजी है परन्तु सबने अपनी असमर्थता प्रकट की है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस पी० सी० राय एन्ड कम्पनी के विरुद्ध भारत रक्षा नियमों के अधीन कार्यवाही क्यों नहीं की जा सकती ?

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : मुझे इस बात का खेद है कि मुझे आज विदेशी भाषा में बोलना पड़ रहा है। इस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही विकट है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, मूल्यों में वृद्धि हो रही है और देश की आर्थिक व्यवस्था पर व्यापारी संस्थाओं का नियन्त्रण है। यदि हम अपनी वर्तमान नीतियों में परिवर्तन नहीं करते तो आज के नौजवानों का भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा करेगी।

ढोर वध निषेध विधेयक

CATTLE SLAUGHTER PROHIBITION BILL

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I beg to House for leave to introduce a Bill to provide for prohibition of slaughter of cattle.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ढोर वध के निषेध के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : I move the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)

श्री सेझियान (कुम्बकोनम) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री सेझियान : श्रीमन्, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ :

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 120 का संशोधन)

श्री सेझियान : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि भारत के संविधान में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री सेझियान : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

सामान्य आय-व्ययक
GENERAL BUDGET

अध्यक्ष महोदय : अब श्री कुन्डू अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं कह रहा था कि यदि हमने पिछले बीस वर्षों में अपनायी गई नीतियों का परित्याग न किया तो लोकतन्त्र अधिक समय तक नहीं चल सकेगा। इस बजट में जनता की भावनाओं को परिलक्षित नहीं किया गया। इसमें जनता की व्यावहारिक कठिनाइयों, उनकी

आशाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। इस बजट से तो निर्धन व्यक्ति का बोझ और बढ़ गया है, क्योंकि इसमें करों की भरमार है। इस बजट से मुद्रा स्फीति के प्रसार को रोका नहीं जा सकता। एक ओर तो मितव्ययता का दावा किया जाता है, परन्तु दूसरी ओर इस अन्तरिम बजट में प्रशासन पर 10 करोड़ रुपया अधिक खर्च करने की व्यवस्था है। यदि नौकरशाही की मनोवृत्ति समाप्त न की गई तो निर्धन व्यक्ति को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। जब तक प्रशासनिक पद्धति में आमूल परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। यदि हम नौकरशाही व्यवस्था में एक चौथाई कर्मचारी घटा दें, और यदि केवल तीन या चार वर्गों में ही क्रान्तिकारी सुधार करने की कोशिश करें, तो सामान्य व्यक्ति का बोझ हल्का हो सकता है। सबसे पहले मितव्ययता का उदाहरण इन मन्त्रियों को प्रस्तुत करना चाहिये।

अब तक नोट छापने पर ही जोर दिया जाता रहा है। एक ओर यह वचन दिया गया है कि मई में जो बजट पेश किया जायगा वह स्फीतिकारी नहीं होगा, परन्तु दूसरी ओर बजट की कान्डिका 27 में और अधिक खर्च करने तथा उसके लिये साधन जुटाने की बात कही गई है। खर्च की कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिये। कार्यालय खर्च की माँगें बढ़ती जायंगी तो हम अपने ध्येय तक पहुंच नहीं सकेंगे। यदि हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये नोट छापते चले गये तो यहाँ भी वही स्थिति होगी, जो साम्यवादियों के आने से पूर्व चीन में हुई थी या द्वितीय युद्ध के पश्चात जर्मनी की हुई थी। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये हमें मुद्रास्फीति के प्रसार को रोकना होगा। देश में करोड़ों रुपये की जमा धन राशि को बाहर निकलवाना चाहिये, ताकि बजट के घाटे को पूरा किया जा सके। मुझे प्रसन्नता होगी यदि वित्त मंत्री सभा को यह आश्वासन दें कि वह राजाओं, रानियों तथा देश के बड़े-बड़े पूंजीपति लोगों से उनका जमा किया हुआ धन निकलवाएँगे। आम चुनावों में जनता ने यह बता दिया है कि वे लोकतन्त्रीय ढंग से सरकार पर यथार्थवादी बजट प्रस्तुत करने के लिये दबाव डाल सकते हैं।

हमारे वित्त मन्त्री ने यह बात मानी है कि अर्थ व्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। परन्तु इस गतिरोध का उत्तरदायित्व सरकार पर है, किसी और पर नहीं। यदि सरकार ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन न किया और देश की ग्रामीण जनता की ओर ध्यान नहीं दिया तो यह लोकतन्त्र समाप्त हो जायेगा। वर्ष 1967-68 के आँकड़ों के अनुसार देश के प्रत्येक बालक पर आज 243 रुपये का ऋण हो चुका है। इस सरकार ने यही भलाई की है ?

देश की सुरक्षा के लिये बजट में खर्च की वृद्धि की गई है परन्तु इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि इस धनराशि को मितव्ययता पूर्वक खर्च किया जाता रहा है।

मुझे आशा थी कि सरकार भविष्य में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कम से कम कोई आशा तो व्यक्त करेगी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। देश की समस्त आर्थिक व्यवस्था का नियन्त्रण बैंकों के हाथ में है। यदि बैंकों में जमा 1,600 करोड़ रुपये की धनराशि को केन्द्रीय बजट में सम्मिलित कर दिया जाय तो इससे सभी कमियाँ दूर की जा सकती हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : वित्त-मन्त्री ने देश की कठिन आर्थिक स्थिति सभा के सामने रखी है। निर्यात में कमी, बढ़ते हुए ऋण की अदायगी, औद्योगिक उत्पादन की गति का कम होना, खेती के उत्पादन में कमी, रेलवे की कम कमाई और मूल्यों की वृद्धि का उन्होंने स्पष्ट रूप से चित्रण किया है। विकासशील अर्थव्यवस्था में ये बाधाएँ उपस्थित

होती हैं। इसलिये यह कोई ऐसी निराशाजनक बात नहीं है। पिछले बीस वर्षों में लोकतन्त्र में समाजवाद लाने के संदर्भ में यदि देखा जाय तो पता चलता है कि हमने एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार, जो मुख्य रूप से कृषि सम्बन्धी था, तैयार कर लिया है। विदेशी मुद्रा की हमें अवश्य कठिनाई का अनुभव हो रहा है। परन्तु इसके बावजूद हमारे देश ने इस्पात, सीमेन्ट, तेल निकालने आदि क्षेत्रों में प्रशंसनीय प्रगति की है। इसलिये विरोधी दलों की जो ये बातें हैं, कि वे कांग्रेस को अपने दलों की विचारधारा के अनुसार ढाल लेंगे, वे सब झूठी प्रमाणित होंगी। बड़ी योजना सामाजिक पुनःनिर्माण का आधार है। हमारे महान् नेता इसी विचार के पक्षपाती थे। योजना का ध्येय देश को 200 वर्ष पुरानी दलदल से निकालना है ताकि ग्रामीण जनता का पुनरुद्धार हो सके।

कुछ सदस्यों ने काँग्रेस की हार का कारण कांग्रेस की गलत नीतियाँ बताया है। परन्तु मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि देश के 90 प्रतिशत मतदाताओं ने देश में समायोजित विकास, शान्ति, समाजवाद के पक्ष में मत दिया है। कांग्रेस की हार का कारण नीतियों की त्रुटिपूर्ण क्रियान्विति है। अब विरोधी दलों को भी जनता ध्यान से देख रही है। उड़ीसा में प्रथम बार सीमेन्ट के कारखाने के मजदूरों पर गोली चलाई गई। इसी से उनके औचित्य का जनता को पता चल जायगा। अब विरोधी दल कांग्रेस की अन्धाधुन्ध आलोचना नहीं कर सकते।

मैं वित्तमन्त्री को देश की आर्थिक उन्नति की गति कम होने के बारे में सूचित करना चाहता हूँ। हमें आर्थिक प्रगति की गति तेज करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

योजना में कटौती करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ साधनों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। यह उचित ही है, परन्तु जनता की विकास की गति तेज करने की आकांक्षाओं का भी ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि योजना में केवल कटौती करने से हम जनता की आकांक्षाएँ पूरी नहीं कर सकेंगे।

आयोजन द्वारा ही समाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है इसलिए जब कभी भी योजना के पुनरीक्षण के लिए दबाव पड़े तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि कहीं हम जनता की भावनाओं के विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं। हमारे समक्ष कई कार्यक्रम हैं और यदि हम उनको पूरा नहीं करते तो फिर हम उस घाटे को कभी पूरा नहीं कर सकेंगे।

हमें सभी संसाधन जुटाने तथा मितव्ययता करने के लिये सभी प्रकार से प्रयत्न करने चाहिए। जैसा कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था हमें सामाजिक परिवर्तन लाने के कार्य से पीछे नहीं हटना है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन (विशाखापटनम): समाजवाद का नारा लगाना बहुत आसान है परन्तु इस पर कार्य करना एक कठिन बात है। आयकर जांच के समय एक व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने 50 लाख रुपया के आयकर की चोरी की है परन्तु कुछ समय हुए उसी व्यक्ति को पदम विभूषण दिया गया है। इस प्रकार यह सरकार समाजवाद देश में ला रही है।

1947 के अन्त में महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे एक बात का विश्वास है कि आज की कांग्रेस भारत निर्माण के मेरे स्वप्नों को पूरा नहीं कर सकती।

लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में इसी आशा से भाग लिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उनको खाने के लिए अनाज, रहने के लिए मकान तथा जो आर्थिक असमानता थी, वे सब दूर हो जायेगी। परन्तु योजनाओं की अवधि में इस आर्थिक असमानता में और अधिक वृद्धि हुई है। महात्मा गांधी सदा यह कहा करते थे कि हमें देश में इस प्रकार का आर्थिक ढांचा बनाना है जिससे कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर दबाव न डाल सके। परन्तु हुआ इसके विपरीत है। आज देश में 75 परिवार तो आनन्द ले रहे हैं जबकि अन्य लोग गन्दी बस्तियों में गुजर कर रहे हैं। लगभग 60 प्रतिशत लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं।

गांधी जी और हम सब यह विचार किया करते थे कि आजादी की प्राप्ति के पश्चात हम साधारण जीवन व्यतीत करेंगे। परन्तु हुआ इसके विपरीत है। वास्तव में हम गांधी जी के आदर्शों से दूर तथा अतिदूर होते चले जा रहे हैं। गांधी जी के विचारों से दूर हटना इतना गलत नहीं होता यदि हम ऐसी योजना बनाते जिससे देश समृद्ध होता और इस देश के लोगों में खुशहाली आती। मुझे आशा थी कि नई सरकार कुछ इस बारे में विचार करेगी परन्तु वित्त मंत्री के भाषण में कोई नई चीज नहीं है।

आज प्रात: योजना मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनका कार्य तो केवल योजना बनाना है और कि उसको क्रियान्वित करना उनका काम नहीं है। यदि किसी योजना को क्रियान्वित नहीं करना है और यदि उसके परिणामों से कुछ सीखना नही है तो उस योजना से कोई लाभ नहीं है। मंत्रियों में मतभेद है। इस बारे में प्रश्न भी पूछा गया था। हम देश में स्थिरता चाहते हैं इसलिए हम यह भी चाहते हैं कि मंत्रिगण एक मत रहें।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): मंत्रियों में कोई मतभेद नहीं है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन: अब नहीं होगा परन्तु प्रश्न काल के समय यही लगता था कि उनमें तथा योजना मंत्री में मतभेद है।

आंध्र प्रदेश एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर प्रति व्यक्ति अखिल भारतीय औसत से कम है। गत तीन योजनाओं के दौरान आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय क्षेत्र में 48 करोड़ रुपये का विनिधान किया गया है, आंध्र प्रदेश में बिजली की सप्लाई मद्रास की अपेक्षा जो कि आंध्र से एक छोटा राज्य है, बहुत कम है। स्वतंत्रता से पूर्व प्रति व्यक्ति 20 औंस चावल मिलता था। अब केवल छः औंस चावल मिलता है। इन तथ्यों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि आंध्र प्रदेश एक पिछड़ा क्षेत्र है और कि वहां कोई प्रगति नहीं हुई है।

तीसरी योजना के आरम्भ में कहा गया था कि प्रादेशिक असमानता को दूर किया जायेगा। 1963 में यह कहा गया था कि पांचवा इस्पात कारखाना विदेशी विशेषज्ञों की राय अनुसार तथा आधुनिक प्रवृति को देखते हुए विशाखापटनम में लगाया जायेगा। सरकार द्वारा नियुक्त किये गये कार्य संघ ने भी विशाखापटनम ही की सिफारिश की थी। इसके पश्चात 1965 में मंत्रिमण्डल के समक्ष भी यह मामला गया था और सामान्यता मंत्रिमण्डल इस पर सहमत था। इसके बाद पाकिस्तान का आक्रमण हुआ और कारखाना नहीं लगाया गया और वचन भंग किया गया। इस्पात कारखाने के लिए चल रहे आन्दोलन के दौरान सभी समाचारपत्रों में यह झूठा समाचार प्रकाशित हुआ था कि भारत सरकार विशाखापटनम में इस्पात कारखाना लगाने के लिये सहमत हो गई है। इसके फलस्वरूप आन्दोलन समाप्त हो गया। इसके कुछ ही दिन बाद प्रधान

मंत्री ने यह वक्तव्य दिया कि धन नहीं है और कि कोई कारखाना अभी नहीं लगाया जायेगा और कि जब धन होगा तो अन्य स्थानों के साथ-साथ विशाखापटनम पर भी विचार किया जायेगा।

कृषि के मामले में भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। 1950 में कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के पानी के आवंटन के बारे में विभिन्न राज्यों के इन्जीनियरों ने फैसला दिया था। इसकी पुष्टि भी विभिन्न राज्यों ने की थी यद्यपि मैसूर सरकार बाद में इससे मुकर हो गई थी। परन्तु इस पर कार्य नहीं किया गया और आंध्र को पानी नहीं मिला। यदि आंध्र प्रदेश को पर्याप्त पानी तथा नगरजूनासागर परियोजना के लिए धन दिया जाता तो यह प्रदेश समूचे देश की चावल की कमी को पूरा कर सकता था। पांच संसद परियोजना पर दो करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं परन्तु अब कार्य रोक दिया गया है। इसी प्रकार विजग की ड्राई पोर्ट पर 15 लाख रुपये खर्च किये गये हैं जब कि इसके 50 लाख मंजूर किये गये थे। शेष रुपयों का कुछ पता नहीं है। मैं वित्त मंत्री को केवल इतना बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार परियोजनाओं को बीच में ही छोड़ दिया जाता है। 1953 में पंडित नेहरू ने एक टेलीविजन इन्टरव्यू में कहा था कि हम एक अथवा दो वर्षों में आत्म निर्भर हो जायेंगे परन्तु आज 1967 में भी हमारे यहां अनाज की कमी है। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हमें प्रथम योजना से ही कृषि पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। अमरीका आदि से चावल मंगाना बहुत महंगा पड़ता है जबकि अपने देश में हम कम लागत पर चावल का उत्पादन कर सकते हैं। यदि खाद्य उत्पादन पर्याप्त नहीं होगा तो उद्योग को भी हानि उठानी पड़ेगी।

नगरजूनासागर परियोजना के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इसको 1955 में आरम्भ किया गया और इसको 1965 में पूरा होना था। इससे 30 लाख एकड़ भूमि पर कृषि की जानी थी परन्तु बाद में इन आंकड़ों को 20 लाख कर दिया गया था। इसके लिये प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये दिये जाते हैं। यह धन बहुत कम है क्योंकि यह राशि प्रति वर्ष दिसम्बर में ही समाप्त हो जाती है। इसके धन के अभाव के कारण कर्मचारी बेकार हो जाते हैं और कार्य की गति रुक जाती है। और ऊपरी खर्चे बढ़ जाते हैं। इस बार 16 करोड़ रुपये की मांग की गई थी परन्तु 10 करोड़ रुपये की ही व्यवस्था की गई है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन: केन्द्रीय सरकार को राज्यों के मंत्रियों के साथ ठीक व्यवहार करना चाहिये। एक भूतपूर्व वित्त मंत्री ने राज्य के मुख्य मंत्री से कम किसी व्यक्ति से मिलने से इनकार कर दिया था। यह कहना ठीक नहीं है कि हम राज्यों को अधिक धन नहीं दे सकते। आप राज्यों के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलिये।

सभापति महोदय: माननीय श्रम मंत्री 'टाइम्स आफ इण्डिया' में हड़ताल तथा सम्बद्ध प्रकाशनों के बारे में 4.50 पर एक वक्तव्य देंगे। जो गैर सरकारी सदस्य अपने विधेयक पुरः स्थापित नहीं कर सके, वह 5 बजे ऐसा कर सकते हैं।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै): मैंने इस विषय पर अल्प सूचना प्रश्न दिया था। एक ध्यान दिलाने की सूचना भी दी गई है। उन दोनों को न लेकर ऐसे ही वक्तव्य क्यों दिया जा रहा है।

सभापति महोदय: उन पर प्रश्न पूछे जाने के लिए अवसर दिया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): माननीय मंत्री राज्य सभा में पहले ही वक्तव्य दे चुके हैं, यहां वक्तव्य पहले दिया जाना चाहिये था। इस सभा की उपेक्षा क्यों की गई है।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री(डा० राम सुभग सिंह): ध्यान दिलाने की एक सूचना का उत्तर पहले दिया जा चुका है। इसलिए अब मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : यह बात गलत है। पहले यह प्रक्रिया रही है कि यदि ध्यान दिलाने की सूचना बहुत महत्वपूर्ण हो तो उसे सुबह लिया जा सकता है और यदि एक और महत्वपूर्ण सूचना हो तो उसका उत्तर 5 बजे दिया जा सकता है।

डा० राम सुभग सिंह: यह प्रक्रिया बदल चुकी है, अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि प्रत्येक दिन केवल एक ध्यान दिलाने की सूचना ली जा सकेगी।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव): मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आयव्ययक का समर्थन करता हूँ। यह अन्तरिम आयव्ययक है। इसलिए, मैं इस पर सभा का अधिक समय नहीं लगाना चाहता। इस समय देश के समक्ष मुख्य समस्या कृषि क्षेत्र में असफलता की है, योजना के आरम्भ से ही हमने यह देखा है कि कृषि-उत्पादन के क्षेत्र में कार्यक्रमों का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। हमारी अर्थ व्यवस्था की वर्तमान स्थिति का मुख्य कारण यही है। यह अच्छा है कि सरकार ने खाद्य समस्या को आपात स्थिति के आधार पर हल करने का निश्चय किया है। सरकार को उस कार्यक्रम का तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा हमें बताना चाहिये।

मुझे खेद है कि सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है। यह योजना बनाकर उसे संसद के सामने स्वीकृति के लिए पेश करना चाहिये। हमारे लिए वार्षिक आयव्ययक पर तब तक विचार करना कठिन है जब तक कि योजना को अन्तिम रूप न दिया जाये।

खाद्यान्न में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि फसलों को बाढ़ से होने वाली क्षति से बचाया जाये तथा सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें दी जायें ताकि एक से अधिक फसलें उठाई जा सकें। कृषकों को सिंचाई की तथा अन्य आवश्यक सुविधायें देने के लिए हमें अपने सभी उपलब्ध जन तथा सामग्री सम्बन्धी संसोधनों का उपयोग करना चाहिये।

राष्ट्रपति ने इस ओर संकेत किया है और माननीय वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि योजनाओं सम्बन्धी कार्यक्रमों की गति देश की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। इसके लिए प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है। आशा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन में की जाने वाली सिफारिशों को उचित महत्व दिया जावेगा और उन्हें शीघ्र लागू किया जायेगा।

यह बहुत ही खेद की बात है कि अवमूल्यन से होने वाले जिन लाभों का सभा को आश्वासन दिया गया था, वे लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं। सरकार को इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करनी चाहिये और कमियां शीघ्र दूर करनी चाहियें।

श्री एस० कंडप्पन (मैटूर): डा० लोहिया ने संविधान के अंग्रेजी संसकरण से कुछ उद्धरण करते हुए कहा है कि उन्हें इस बात पर शर्म आती है कि वह अंग्रेजी में उद्धरण दें। उन्होंने उसका हिन्दी में अनुवाद कर दिया। सरकार हमें अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करती है। यह बात नहीं है कि हमें अपनी मातृ भाषा से प्रेम नहीं है परन्तु परिस्थिति की आवश्यकता हमें

ऐसा करने पर बाध्य करती है। सदस्यों को अपनी भाषा में बोलने की अनुमति देने के लिए उचित प्रबन्ध किये जाने चाहियें।

देश का काम संतोषजनक रूप में नहीं चल रहा है और वास्तव में देश की स्थिति डावां-डोल है। कुछ कांग्रेसी सदस्य इसके लिए दोष सरकार को नहीं अपितु प्रशासनिक व्यवस्था को देते हैं। यह बात नहीं मानी जा सकती। यह देखना सरकार का कर्त्तव्य है कि प्रशासन ठीक रूप में चलाया जाये। यदि सरकार यह मानती है कि उसका प्रशासन असफल रहा है तो वह देश पर शासन करने के योग्य नहीं है।

यह कहा गया है कि कांग्रेस की नीतियों अथवा आदर्शों में कोई बुराई नहीं है परन्तु वे उसे क्रियान्वित नहीं कर पाये हैं। केवल कागज़ी योजना बनाने का प्रश्न नहीं हैं। योजना के मामले में व्यावहारिक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये। यदि योजना व्यावहारिक नहीं है तो उसे फिर से तैयार करने में सरकार को हिचकिचाना नहीं चाहिये। तथा इस सभा के सामने ऐसी योजना प्रस्तुत करनी चाहिये जो स्वीकार्य हो ताकि देश आगे बढ़ सके।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से अधिक धन निकाले जाने के कारण कुछ राज्यों को 113 करोड़ रुपये की सहायता देनी पड़ी है। इससे केन्द्रीय सरकार का घाटा बढ़ गया है। यह समस्या रिजर्व बैंक द्वारा यह आदेश जारी करने से हल नहीं होगी कि कुछ समय के बाद राज्यों को यह सुविधा नहीं दी जायेगी। केन्द्र द्वारा पिछले 20 वर्षों में देश के धन का दुरुपयोग किये जाने के कारण ही ऐसा हुआ है।

राष्ट्र निर्माण और समाज सुधार का काम मुख्य रूप से राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है, केन्द्र के ऊपर नहीं परन्तु संविधान में राज्यों के लिए जो धन निर्धारित किया गया था, वह न तो केन्द्र के धन की तरह पर्याप्त था और न ही उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। वित्त आयोग की यह सर्वसम्मत राय है कि राज्य सरकारों को और अधिक धन दिया जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों पर विश्वास रखना चाहिये और उन्हें अधिक धन देना चाहिये ताकि वे अपनी योजनायें तैयार करने में पहल कर सकें। राज्यों को स्वेच्छा से अधिक धन दिया जाना चाहिये।

बहुत बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित करने की बजाय हमें छोटे संयंत्र स्थापित करने चाहियें। हम सेलम, विशाखापत्तनम और हौजपेट में मध्यम तथा छोटे आकार के इस्पात संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : It is a matter of regret that the Planning Commission does not maintain the statistics regarding produce of different varieties of land. It is very important to maintain such statistics. Our Plans have failed owing to such omissions by the Planning Commission. Steps should be taken to have a proper planning.

A Government of the intellectuals, as was suggested by some leaders, would serve no purpose. Only practical persons can deliver the goods. We should, therefore, include practical persons in the Government.

Bihar has been very badly affected by drought this year. Out of 476 blocks, 400 have been declared drought affected, There is no proper arrangement for irrigations in Bihar. The agricultural produce can increase substantially if the Government makes

arrangements for necessary irrigation facilities. The Government should understand that our economy cannot improve until proper attention is paid to agriculture. The agriculturists are not paid proper price for their produce. The Government should pay more attention to the interests of agriculturists.

We should effect economies in expenditure. It has appeared in the press that Shri Morarji Desai will use his own car and he will not use the Government Car. He deserves to be thanked for this thing. The Ministers should not lead luxurious life. They should set up an example of simple living.

We should have active planning. It is not sufficient to chalk out the Plans. Their implementation is more important. Therefore, more stress should be laid on this aspect. I differ with Shri Morarji Desai on the question of family planning and I am against such a programme.

Unless we achieve socialism, we cannot win favour of general public and the fruits of Plans could not reach the poor. The Finance Minister is of the opinion that all sections of the society have to bear the burden of taxes whereas economic condition of the poor is very delicate. In my opinion taxes should be imposed on rich people only so that socialistic pattern of society could be established. Unless and until this is done no single party could be in power for long time.

Now it is the need of the day to have a change in the administration radically. The general public is sore with the present bureaucracy.

There is no need of second Chamber in the Central Government. I am of the opinion that in order to minimise the expenditure Second House in all the States as well as in the Centre should be abolished. If in this way people of one's choice are being provided for a revolution would be inevitable and there is no body who can stop it.

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : It is a matter of regret that we are compelled to express our views in foreign language even after 17 years when we got our freedom. I would, therefore, like to say on behalf of Communist party that same facilities should be provided to all those members who want to speak in their regional languages just like that which have been provided to Hindi speaking members. We can drive out English only by joint efforts of all the parties.

The picture of economic condition in the country drawn by the Finance Minister is not complete. There are different sections of the society in the same city viz. Delhi—Sewapuri and Sunderpuri and we find much difference in the living conditions. I have seen labourers who were helplessly taking the meals left out by the rich. I read in a newspaper that a mother who had given birth to a child about ten days back was crying in the streets let some body purchase her child. Can we call it development of democracy ? It is a matter of great concern that how these disparties will be removed from this country ? We cannot achieve socialism without the removal of these disparities.

The fact of economic crisis in the country cannot be denied. But it would not be correct to say that economic crisis were due to drought only. It may be one factor to be attributed to it.

There was 20% increase in the prices of various commodities during the last year only. During the 2nd Plan period there was an increase of 30% and in the 3rd Plan period 36.4% but this increase in prices were said to be inevitable in the name of developmeut. Now the reason for rise in the prices is attributed to drought. This is nothing but growth of capitalism. Otherwise the prices would have not arisen when there was no drought and instead there was a very good crop in the country. In fact it was done intentionally to help undue profiteering. It is essential to bring a radical change in the policies being pursued for the last 20 years if we want to achieve socialism.

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : जैसा कि सदन को विदित है, श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्डों और गैर-पत्रकारों के मजूरी बोर्डों ने अपने अंतरिम पंचाट दे दिये हैं। भारत सरकार ने इनकी सिफारिशों को 23-11-64 और 9-4-65 को अधिसूचित किया। टाइम्स आफ इंडिया ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया। पत्रकारों से संबधित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के विषय पर प्रबंधकों ने बम्बई के उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है जिसमें पत्रकारों को अंतरिम सहायता देने के बारे में भारत सरकार के आदेश की बैधता को चुनौती दी गई है। जहां तक गैर-पत्रकारों से संबंधित सिफारिशों का संबंध है, उन्होंने उन्हें कार्यान्वित न करने के लिये अनेक कारण बताये हैं।

कर्मचारी 17-2-67 से यह आधार लेकर हड़ताल पर गये कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त मजूरी बोर्डों ने जो अंतरिम सहायता मंजूर की है, उसकी अदायगी मालिक ने नहीं की है।

प्रबंधकों ने 27-2-67 से तालाबन्दी घोषित की। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को समझौते के लिये भेजा है। दिल्ली में दिल्ली प्रशासन के श्रम कमिश्नर द्वारा यह मामला उठाया गया है। दिल्ली और बम्बई दोनों ही जगहों के लिये भी यह मामला श्रम मंत्रालय के प्रवर अधिकारियों द्वारा प्रबन्धकों और कर्मचारियों से उठाया गया है। पिछले कुछ दिनों से बातचीत चल रही है और मैंने दोनों ही पक्षों से यह अपील की है कि कर्मचारियों और प्रबन्धकों में अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिये उन्हें आपसी समझौता कर लेना चाहिए। मुझे आशा है कि वे ऐसा करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): हड़ताल के 60 दिनों में वेतन न मिलने के कारण टाइम्स आफ इण्डिया' दिल्ली तथा बम्बई दोनों के कर्मचारियों की वित्तीय दशा शोचनीय हो गई है तथा वह लगभग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्री महोदय ने मालिकों और कर्मचारियों के बीच इस प्रश्न को हल करने के लिए तथा हड़ताल समाप्त कराने के लिए कोई कार्यवाही की है ताकि भविष्य में मुकदमें बाजी से बचा जा सके।

(श्री हाथी): हमारे अधिकारियों ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा प्रबन्धकों से इस विषय में बात चीत की है। मैं भी उनसे मिला हूँ तथा बातचीत आगे बढ़ रही है। मुझे आशा है कि कुछ फैसला हो जायेगा।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : यह सांविधिक सिफारिश है, जिसका पालन इस समाचार पत्र को छोड़कर सभी समाचार-पत्रों के प्रबन्धकों ने किया है। मालिकों ने अनुशासन संहिता का उल्लंघन किया है। उच्च न्यायालय से कोई अन्तरिम आदेश भी नहीं लिया गया और पन्द्रह दिन की पूर्व सूचना दिए बिना ही दिल्ली में तालाबन्दी लागू कर दी गई। सरकार ने इन सभी मामलों के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

(श्री हाथी) : यह सच है कि हड़ताल पिछले 30 अथवा 40 दिनों से चल रही है। परन्तु यदि कर्मचारियों ने पत्रकार अधिनियम की धारा 17 के अधीन आवेदन पत्र दिया होता तो वह अपने वेतन भूमि राजस्व वसूली के अनुसार कर सकते थे। हम स्वयं इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं कर सकते। दो मजूरी बोर्ड हैं (एक) सांविधिक और (दो) असांविधिक। परस्पर समझौते से ही संतोषजनक परिणाम निकल सकता है। हम उनकी सिफारिशों को क्रियान्विति करने के लिए सहमत ही कर सकते हैं। यदि वे सहमत न हों तो मजूरी बोर्ड का कोई लाभ ही नहीं।

Shri Hukam Chand Kachhvaiya (Ujjain) : In order to settle such disputes amicaly and present such strikes in future what steps are being taken by the Government ?

श्री हाथी : मैं चाहता था कि प्रबन्धकों तथा मजदूरों के बीच पुनः मित्रतापूर्ण वातावरण बन जाता ताकि कर्मचारियों को अपनी मजदूरी मिल सके ।

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा): हड़ताल से कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों दोनों की ही हानि हुई है । दोनों के दृष्टिकोण में क्या अन्तर था ? क्या सरकार ने दोनों पक्षों में पक्षपात रहित हो कर समझौता कराया है ताकि भविष्य में काम करते हुए कोई बाधा उपस्थित न हो ?

श्री हाथी : दोनों पक्षों के दृष्टिकोण में कितना अन्तर है इस विषय में मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा । परन्तु कर्मचारियों का दृष्टिकोण युक्तियुक्त रहा है और मैं प्रबन्धकों को भी ऐसा ही दृष्टिकोण बनाने के लिए समझा रहा हूँ ।

Shri George Fernandes (Bombay East) : The Government is also a party to the attitude of indifference on the part of management as they have appointed Chairman and two directors of Bennet Colman Company. The Government should, therefore, see that any one who stands in the way of agreeing to rational demands of the workers,s hould be removed.

श्री हाथी : मैंने यह कहा कि कर्मचारियों का पक्ष ठीक था और मुझे आशा है कि प्रबन्धक भी उनके दृष्टिकोण को समझेंगे । सरकार निदेशकों को समझा सकती है परन्तु उनको आदेश देना उचित नहीं होगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : When the Government agrees that the demands of workers were reasonable then attitude of Government is a partisan on, Why the Government should not have appointed a committee of members of Parliament to look into the whole affair ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : We welcome the efforts of Government. I want to know whether Government is likely to introduce a Bill to provide statutary basis for th au2d wage Board ?

Shri Hathi : We are trying for an agreement and we will consider about having a legislation.

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोंड) : क्या सरकार श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत अन्तरिम सहायता न देने के लिये कम्पनी पर मुकदमा नहीं चला सकती ।

श्री हाथी : यह सम्भव है । परन्तु जब बातचीत चल रही है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : गत 30 महीनों में सरकार ने क्या किया है ।

श्री हाथी : यह मामला केन्द्रीय सरकार के पास न हो करके महाराष्ट्र सरकार के पास था ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Ujjain) : The hon. Minister should categorically state that this would be solved amicably and that such a situation would not be allowed to develop in future.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : कर्मचारियों का दृष्टिकोण न्याययुक्त तथा ठीक है । यदि प्रबन्धक सहमत नहीं होते तो मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री हाथी : कानूनी कार्यवाही की जा सकती है परन्तु इसका अर्थ होगा विलम्ब करना। यह मामला न्याय निर्णय के लिये भी दिया जा सकता है। परन्तु, यदि समझौता हो जाये तो अच्छा है।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(नये अनुच्छेद 125 क और 221 क का रखा जाना)

Shri Madhu Limaye (Monghyre) : I beg to move :

"for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधयेक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 37 तथा 45 आदि का संशोधन)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move:

"for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

Shri Madhu Limaye : Sir, I introduce the Bill.

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(धारा 107 और 109 हटाया जाना)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move :

"for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

Shri Madhu Limaye : Sir, I introduce the Bill.

दंड विधि संशोधन (निरसन) विधेयक

CRIMINAL LAW AMENDMENT (REPEAL) BILL

Shri Madhu Limaye (Monghyr) **:** I beg to move :

"for leave to introduce a Bill to repeal the Criminal Law Amendment Act, 1932."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

Shri Madhu Limaye : Sir, I introduce the Bill.

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक

LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL

(धारा 11, 23 आदि का संशोधन)

श्री स० च० सामंत (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was Adopted

श्री स० चं० सामंत : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ ।

राष्ट्रीय राइफल प्रशिक्षण योजना विधेयक

NATIONAL RIFLE TRAINING SCHEME BILL

श्री स० चं० सामंत : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि 20 से 30 वर्ष तक की आयु के स्वस्थ शरीर वाले सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से राइफल चलाने का प्रशिक्षण देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 20 से 30 वर्ष तक की आयु के स्वस्थ शरीर वाले सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से राइफल चलाने का प्रशिक्षण देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री स. चं. सामन्त : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक

DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL

(तीसरी अनुसूची का संशोधन)

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I beg to move :

"for leave to introduce a Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957."

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, I introduce the Bill.

भारतीय सशस्त्र सेना कर्मचारी (अनिवार्य बीमा) विधेयक

INDIAN ARMED FORCES PERSONNEL (COMPULSORY INSURANCE) BILL

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि सशस्त्र सेना कर्मचारियों के अनिवार्य बीमे के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सशस्त्र सेना कर्मचारियों के अनिवार्य बीमे के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री स० चं० सामन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी रोक विधेयक

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि दैनिक प्रयोग की अत्यावश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा उनमें मुनाफाखोरी रोकने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दैनिक प्रयोग की अत्यावश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा उनमें मुनाफाखोरी रोकने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री स० चं० सामन्त : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

---

* सी० आइ० ए० की गतिविधियां

*ACTIVITIES OF C. I. A.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय इस पर चर्चा आरंभ होने से पहले मेरा एक निवेदन है । 20 मार्च 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों के बारे में श्री उमानाथ तथा हम सब चर्चा उठाना चाहते थे । देश में सी० आइ० ए० की गतिविधियों की रोकथाम केवल गृह-मंत्रालय ही कर सकता है क्योंकि गुप्तचर विभाग का सम्बन्ध उसी से है । परन्तु पहले दिन जब प्रश्न पूछा गया तो उत्तर वैदेशिक कार्य मंत्री ने दिया था । स्वेतलाना के बारे में भी उत्तर वैदेशिक कार्य मंत्री ने ही दिया है । वैदेशिक कार्य मंत्री गुप्तचर विभाग के बारे में कुछ नहीं जानते । इसलिए गृह-कार्य मंत्री को चर्चा के समय सभा में उपस्थित रहना चाहिए अन्यथा चर्चा का कोई लाभ नहीं । यदि गृह-मंत्री किसी कारण उपस्थित नहीं हो सकते तो गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री को ही उपस्थित रहने के लिए कहा जाये ।

---

* आधे घण्टे की चर्चा

* Half an-hour discussion.

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : सी० आइ० ए० से सम्बन्धित प्रश्न मेरे ही नाम में था इसलिए मैं ने उसका उत्तर दिया था। आज मंत्रिमण्डल की बैठक हो रही है। यदि चर्चा को किसी अन्य दिन पर स्थगित कर दिया जाये तो मैं गृह-मंत्री से सभा में उपस्थित रहने के लिए निवेदन करूंगा ताकि वह प्रश्नों का उत्तर दे सकें।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की भावना गलत है कि सी० आइ० ए० एक स्वतंत्र संगठन है और कि इसका अमरीका की सरकार जिसके राष्ट्रपति श्री जान्सन हैं से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस संगठन को अमरीका सरकार ने ही बनायी है, वही इसे चला रही है तथा वही इसके लिए धन की व्यवस्था करती है। अमरीका की सरकार इस संगठन की वित्तीय सहायता भी करती है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों की सरकारों को लुढ़काना, विभिन्न देशों में चुनावों पर प्रभाव डालना, व्यापार संघों तथा लोगों के विभिन्न वर्गों के संगठनों को काबू में करना तथा विभिन्न स्वतंत्र देशों की सरकारों के महत्वपूर्ण स्थानों को कब्जे में करना है।

जहां तक राजनैतिक कार्यवाही का सम्बन्ध है सी. आइ. ए. अमरीका सरकार के अनुमोदन के बिना कोई कदम नहीं उठाता है। सी० आइ० ए० के भूतपूर्व चीफ तथा मि. डीन रस्क, सेक्रेटरी आफ स्टेट ने अपने वक्तव्यों में इस बात की पुष्टि की है। अमरीका के राष्ट्रपति का इस संगठन पर पूरा नियंत्रण है तथा उनके अनुमोदन के बिना सी० आइ० ए० कोई कार्यवाही नहीं करती है।

सी० आइ० ए० विभिन्न देशों में अमरीका के दूतावासों में विद्यमान शान्ति मिशन के सदस्यों, यात्रा करने वाले पत्रकारों, विद्यार्थियों यात्रियों तथा प्रोफेसरों द्वारा अपना कार्य करती है।

इस प्रकार की गतिविधियों के लिये सी० आइ० ए० का बजट लगभग 3,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का है। 'न्यूज वीक' तथा अन्य ऐसे पत्रों ने स्पष्टरूप से यह जानकारी दी है। प्रत्यक्ष रूप से सत्रह मुख्य निधियों में रुपया दिया जाता है। इन सत्रह निधियों का रुपया आगे सात मुख्य संस्थाओं, जिन्हें कुल्या (कन्डूट्स) कहा जाता है, दिया जाता है। इसके पश्चात यह सात कुल्या आगे 12 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को रुपया देते हैं। इनमें से कुछ अमरीकन काउन्सिल आफ दि इंटरनेशनल कमीशन आफ जूरिस्ट, दि कांग्रेस फार कल्चरल फ्रीडम, दि बर्ल्ड एसेम्बली आफ यूथ, इंस्टीट्यूट आफ इंटरनेशनल लेबर रिसर्च, इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन, इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल स्टूडैन्ट्स एसोसियेशन आदि है। भारत में सी० आइ० ए० का मुख्यालय अमरीकी दूतावास के क्षेत्र के अन्दर ही है। यह न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी में एक भवन की प्रथम मंजिल पर स्थित है। भवन अमरीकी दूतावास के पिछवाड़े है तथा इसकी छत पर 'अन्टेनास' का पूरा जाल है जिसका सीधा सम्बन्ध अमरीका में अपने मुख्यालय से है। यह बड़े शर्म की बात है।

भारत में सी० आइ० ए० के प्रधान मि० लियोनार्ड विस है जो कि यहां पर राजनैतिक-आर्थिक कार्यों से सम्बन्धित मैत्रि-सलाहकार के नाते कार्य करते हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो

जाती है कि सी० आइ० ए० अमरीकी दूतावास संगठन का एक अभिन्न अंग है और इस प्रकार यहाँ कार्य संचालित किया जाता है।

मैंने जो जानकारी दी है वह 'इन्वीजीबल गवर्नमैंट' नाम की एक पुस्तक में दी गई जानकारी से मिलती जुलती है।

भारत में एक तथाकथित कांग्रेस फार कल्चरल फ्रीडम है जिसका व्यय सी० आइ० ए० द्वारा वहन किया जाता है। इसका एक पत्र प्रकाशित होता है जिसका नाम फ्रीडम फर्स्ट है और इस पत्र का सम्पादक एक भारतीय है जिसका नाम श्री वी० बी० कार्णिक है। इस बात की पुष्टि भी न्यूयार्क टाइमस ने अपने एक प्रकाशन में की है।

एक संस्था वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ भी है जिसका खर्च सी० आइ० ए० द्वारा किया जाता है। भारत में भी इसका न्यास है जिसके सभापति श्री मोरारजी देसाई हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है। इसके अतिरिक्त, श्री नवल टाटा, श्री गोदरेज, श्री चरल शर्मा, श्री राम कृष्ण बजाज, श्री रवीन्द्र वर्मा, श्री एम० वी० राजशेखरन, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित और श्री कृष्णस्वामी भी इस न्यास के सदस्य हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के अलावा देश के बड़े-बड़े व्यापारी या अन्य लोग किस प्रकार इस सस्था का संरक्षण करते हैं।

एक 'एशियन फाउण्डेशन' भी है जिसको सी० आइ० ए० चलाता है। इस फाउण्डेशन ने हमारे देश के अनेक युवकों को भ्रमण करने के लिये वित्तीय सहायता दी है। जिनमें श्री नारायण दत्त तिवारी कन्वीनर आफ दि यूथ कांग्रेस, श्री रामलाल पारिख एक्स-प्रेसिडैंट आफ दि यूथ कांग्रेस, और श्री बसु सेक्रेटरी दि यन्ग फारमर्स एसोसियेशन हैं। इस फाउण्डेशन ने टोक्यों में हुई 'छठी वर्ल्ड असेम्बली मीट' में जाने के लिये कुछ लोगों की वित्तीय सहायता की थी और सरकार ने उनको वहाँ जाने की अनुमति दी जबकि सरकार ने किसानों तथा श्रमिकों को अपने साथियों से मिलने जाने के लिये यह कह कर रोक दिया था कि वे केवल अपना धन व्यय करके ही विदेशों में जा सकते हैं। यह बड़े खेद की बात है।

इस 'एशियन फाउण्डेशन' द्वारा इंस्टिट्यूट आफ कांस्टिट्यूशनल एण्ड पार्लियामैंटरी स्टडीज' तथा गांधी पीस फाउण्डेशन की भी वित्तीय सहायता की जाती है।

सी० आइ० ए० हमारे चुनावों में भी हस्तक्षेप कर रहा है। जब बम्बई प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा मदों की सूची तैयार की जा रही थी तो श्री विस वहीं पर थे। कलकत्ता में भी जब संयुक्त मोर्चे के दल बातचीत कर रहे थे तो श्री विस विमान द्वारा वहाँ गये तथा तीन दिन वहाँ पर रहे। इसी प्रकार अमरीकी राजदूत श्री बौल्स काश्मीर तथा केरल में भी गये। इन गति विधियों से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। भारत को रूस से मिलने वाली सैनिक सहायता तथा 1962 से भारतीय सेना के पुनर्गठन का ब्यौरा अमरीका के विभिन्न पत्रों में प्रकाशित हुआ है जबकि यह जानकारी भारतीय संवाददाताओं को उपलब्ध नहीं है। 13-5-65 को श्री थामस एफ० ब्राडी ने न्यूयार्क टाइम्स में तथा 7-12-66 को श्री आर्थर जे० जोनान लोस एन्जिल्स टाइम्स में उपरोक्त वक्तव्य प्रकाशित किये थे।

भारत की अणु शक्ति के विकास सम्बन्धी गुप्त बातें भी इसके माध्यम से अमरीका भेजी जा रही हैं ।

मि० कौल ने अपनी पुस्तक में इस बात को स्वीकार किया है कि चीन के आक्रमण के बारे में नवम्बर-दिसम्बर में अमरीका के राज्य ने राजनैतिक तथा सैनिक मामलों के बारे में उनसे बातचीत की थी। इन सब बातों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी सेना में भी उनकी पहुँच है।

पी० एल० 480 से प्राप्त धन चुनावों आदि पर खर्च किया गया है। श्री कृष्णमाचारी ने एक बार अपने भाषण में कहा कि 95 करोड़ रुपये इस निधि से खर्च हुए हैं परन्तु उनमें से केवल 38 करोड़ रुपये का ही हिसाब मिलता है। शेष राशि के बारे में उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ पता नहीं है। यह धन सी० आइ० ए० की गतिविधियों पर भी व्यय किया जा रहा है ।

न्यूयार्क टाइम्स द्वारा अपने प्रकाशन में बताये गये संगठनों, जिनकी शाखाएँ यहाँ पर हैं, वित्तीय साधनों तथा वित्त की जाँच की जानी चाहिये। उनके अनुदान बन्द किये जाने चाहिये। अमरीकी राजदूत के बारे में भी सरकार को स्वतन्त्ररूप से जाँच पड़ताल करनी चाहिये और दूतावास में स्थित सी० आइ० ए० के संगठनों को समाप्त किया जाना चाहिये। मेरी चौथी माँग यह है कि श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जो न्यास कार्य कर रहा है उसको समाप्त किया जाना चाहिये। द्वितीय सचिव श्री डेल, मि० विस और मिस शाफर को अप्रिय व्यक्ति घोषित किया जाना चाहिये। पी० एल० 480 करार पर भी पुनः विचार किया जाना चाहिये।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या यह सच है कि अमृत बाजार पत्रिका वालों ने समुद्र पार के लिये एक न्यूज वीकली शुरू किया है और 5000 प्रतियों के लिये एक अमरीकी एजेन्ट ने अग्रिम आर्डर दिया है तथा 10,000 डालर प्रतिवर्ष आय की गारंटी उस पत्रिका को प्राप्त हुई है।

Shri George Fernandes (Bombay-East.) : The hon. Minister of External Affairs have admitted that few citizens and organisations are connected with the C. I. A. He has also admitted that even the Ministers, Shri Morarjl Desai and Shri Dinesh Singh have been associated with some of the such organisations. May I know from the hon. Minister whether he will think seriously to appoint an Enquiry Commission to go into the woring of the C. I. A. so that names of the organisations and persons may be known who were drawing funds from the C. I. A. ? P. L. 480 funds are also being used for anti-national activities.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : May I konw whether the Government are aware that General Chaudhry has admitted in his book that during his tenure in the army he had been also working as Military Correspondent to a newspaper ? Secondly Mr. Galeraith in a editorial has written that C. I. A. has no difficulty in India becauese it is functioning with theIndian Government's colabaration. A Commission should be appointed to go into the whole matter.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उन संस्थाओं के अतिरिक्त जिनका जिक्र मेरे मित्र श्री उमानाथ तथा जार्ज फरनेन्डीज ने किया है, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि आई० सी० ऐफ० टी० यू०, ने एक नक्शा परिचालित किया है जिसमें काश्मीर

को विवादस्पद क्षेत्र दिखाया गया है। क्या यह संस्था सी० आइ० ए० से धन प्राप्त कर रही है तथा भूतपूर्व उप श्रम तथा रोजगार मन्त्री श्री आबिद अली भी इस संस्था के सदस्य हैं।

क्योंकि सी० आइ० ए० ने हमारे निर्वाचनों में हस्तक्षेप किया है तो आप देखेंगे कि वे शीघ्र ही प्रगतिशील व्यक्तियों को हटाकर अमरीकी कठपुतलियों को ही रखेंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं स्वयं भी सी० आइ० ए० द्वारा अपने राष्ट्रीय जीवन में हस्ताक्षेप से चिन्तित हूँ। परन्तु सदस्य महोदय ने जहाँ कुछ व्यक्तियों का नाम भी लिया जैसे श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्री मोरारजी देसाई तथा श्री रविन्द्र वर्मा कि उन्हें सी० आइ० ए० से धन मिल रहा है, वहाँ कुछ और व्यक्तियों का नाम भी लेना चाहिये था जो कि अमरीका के विरुद्ध हैं। श्री कृष्णमेनन द्वारा चलाई हुई इन्टरनेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट को भी सी० आइ० ए० से धन प्राप्त किया है। और मुझे यह भी पता है कि श्री मोरारजी देसाई तथा श्री कृष्ण मेनन कोई देशद्रोही नहीं हैं। मेरे विचार में जार्ज फर्नेन्डीज का सम्बन्ध भी हिन्द मजदूर संघ से है और वह संस्था भी धन प्राप्त कर रही है।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, She is telling a lie. I have no connection with H. M. S.

श्री उमानाथ : नियमों के अन्तर्गत वह केवल सूचना प्राप्त कर सकती हैं। परन्तु वह सूचना दे रही हैं। उन्हें इसकी गंभीरता को अनुभव करना चाहिये।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं इसकी गंभीरता को नहीं छोड़ रही हूँ। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करुंगी कि वह सी० आइ० ए० की गतिविधियों की जांच एक उच्च सतरीय आयोग द्वारा करायें ताकि कांग्रेस दल के बेगुनाह सदस्य बदनामी से बच सकें।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या मंत्री महोदय उन बड़े-बड़े व्यक्तियों को दोषों से निकालेंगे जिनका नाम लिया गया है क्योंकि ऐसा करना उनका कर्तव्य है। क्या सी० आइ० ए० उन आन्दोलनों के पीछे थी जिनमें विद्यार्थियों ने भाग लिया था ?

श्री आनन्द नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : इस बात का ध्यान रखते हुए कि सी. आइ. ए. की गतिविधियां भारत में बढ़ी हुई हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से इस में बड़े बड़े अधिकारी और मंत्रियों का भी सम्बन्ध है, क्या सरकार इसकी पूरी जांच करायेगी ?

Shri Shashi Bhushan Vajpayee : It is not a fact that Shri Balraj Madhok visited Formosa with the funds of this association and that members of National Council of University Students also visited some foreign countries with these funds ?

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) **:** I accuse that the member who spoke just now and his wife are agents of C. I. A. and get payment from that and he has fought election with their money.

Shri Kanwar Lal Gupta (Sadar Delhi) **:** Since names of all the parties have been mentioned, I request the minister to conduct a comprehensive enquiry into it and of those agencies also which receive aid from Russia and China ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : सभापति महोदय मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि सदन में दोनों पक्ष के सदस्य इस बात से चिन्तित हैं कि हमारी राजनीतिक, सांस्कृतिक

तथा शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं पर विदेशी धन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। सरकार भी इस ओर से चौकस है।

सी० आइ० ए० का दो प्रकार का कार्य है। एक तो सूचना प्राप्त करना जिसमें जासूसी भी शामिल है। ऐसा करने की अनुमति नहीं है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कार्यवाहियों की अनुमति नहीं दी जायेगी क्योंकि इससे लोकतन्त्र एक ढ़ौंग बनकर रह जायेगा। हमें अपने लोकतन्त्र तथा संसदीय संस्थाओं पर गर्व है। यदि हमारी तसल्ली हो गई कि विदेशी धन ने हमारे चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया है तो हम कड़ी कार्यवाही करेंगे। हम अपने जांच विभाग द्वारा इस मामले को पता लगायेंगे कि कोई ऐसा षठयन्त्र तो नहीं है।

मैं इस बात की भी परवाह नहीं करूँगा कि यह धन किस देश से आता है।

मैंने स्वयं उन संस्थाओं का नाम लिया जो प्रत्यक्ष रूप में सी० आइ० ए० से धन प्राप्त कर रही हैं। परन्तु कुछ उन में अनजाने में धन प्राप्त कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ संस्थायें अमरीकी संस्थाओं से धन प्राप्त कर रही हैं और उन्हें पता नहीं है कि वह अमरीकी संस्था सी० आइ० ए० से धन प्राप्त कर रही है। भारतीय संस्थाओं की आँख अब खुल रही है जब उनको पता लगता जा रहा है कि वह सी० आइ० ए० से धन प्राप्त कर रही हैं। जब लोग देश से बाहर जाते हैं तो उन संस्थाओं का पता लगाना चाहिये जो उसके लिए धन देते हैं ताकि यह पता लग सके कि वह केवल सांस्कृतिक और शैक्षिक है अथवा राजनीतिक है।

परन्तु साथ ही यह भी याद रखना चाहिये कि भारत के अन्य देशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं। इस लिये यह नहीं हो सकता कि भारत में किसी को आने की अथवा भारत से किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। हाँ यह ध्यान रखेंगे कि लोग छानबीन के बिना निमन्त्रण स्वीकार न कर सकें। हम इस मामले की तह में जायेंगे।

Shri Madhu Limaye : We want you to refer this matter to the Cabinet and then with their advice institute an enquiry.

श्री मु० क० चागला : मुझे सदन के विचारों का पता चल गया है। हमें आप थोड़ा समय दीजिये ताकि हम यह विचार कर सकें कि किस प्रकार की जाँच करायेंगे।

पी० एल० 480 के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गये हैं। इस समझौते के अनुसार कुछ राशि अमरीकी दूतावास व्यय करता है। यह कहना ठीक नहीं कि अमरीकी दूतावास हमें एक-एक रूपया व्यय करने का हिसाब दे। लेकिन फिर वह हमें मुख्य कार्यों का नाम बता देते हैं जिस पर यह धन व्यय किया जाता है। अमरीकी दूतावास के पास 183 करोड़ रुपये की राशि उनके व्यय के लिये थी। उसमें से उन्होंने 31 मार्च 1963 तक 93 करोड़ रूपया व्यय किया। इसमें से भी मुख्य दूतावास पर तो 35 करोड़ रुपया ही व्यय हुआ। बाकी कुछ शैक्षणिक तथा कृषि कार्यक्रमों पर व्यय हुआ। हम अमरीकी दूतावास से यह नहीं कह सकते कि वे उसकी रसीद दें। लेकिन फिर भी हम इस धन को राजनीतिक तोड़फोड़ के लिये काम में नहीं लेने देंगे।

जो लोग देश से बाहर निमन्त्रण पर गये थे उनमें से अधि को तो यह भी पता नहीं था कि इसके लिए धन सी० आई० ए० से आ रहा है।

जाँच के बारे में मैंने कोई वचन नहीं दिया है। इसके लिये मैं अपने साथियों से परामर्श करूंगा।

इसके पश्चात लोकसभा सोमवार, 27 मार्च, 1967 / चैत्र 6, 1889 (श) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday the 27th March, 1967 / Chaitra 6, 1889 (Saka).

———

Tirthraj Press, Allahabad.